दो साल में हरित क्षेत्र पांच हजार वर्ग किमी बढ़ा

वन सर्वेक्षण की 16वीं रिपोर्ट के अनुसार 2017 की तुलना में देश के हरित क्षेत्र में 5188 वर्ग किमी की बढ़ोतरी हुई है जिसमें वन क्षेत्र में 3976 वर्ग किमी बढ़ोतरी शामिल है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में वन क्षेत्र में 765 वर्ग किमी की कमी आई है हालांकि इन राज्यों में 70 से 80 फीसद तक वन क्षेत्र बरकरार है। इन राज्यों में झूम खेती के प्रचलन के कारण वनक्षेत्र में मामूली कमी आई है।

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 दिसंबर।

पिछले दो वर्षों में देश के हरित क्षेत्र में 5,188 वर्ग किमी की बढ़ोतरी हुई है जिसमें वन क्षेत्र और वन से इतर वृक्षों से आच्छादित हरित क्षेत्र भी शामिल है। पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने सोमवार को भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई 'भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019' (आइएसएफआर) जारी करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में वन क्षेत्र 7,12,249 वर्ग किमी हो गया है। उन्होंने कहा कि यह देश के कुल क्षेत्रफल का 21.67 फीसद है, जबकि वन क्षेत्र के बाहर वृक्षों से आच्छादित हरित क्षेत्र 95,027 वर्ग किमी को मिलाकर देश का कुल हरित क्षेत्र 807276 वर्ग किमी है, जो कि कुल भूभाग का 24.56 फीसद है। वन सर्वेक्षण की 16वीं रिपोर्ट के अनुसार 2017 की तुलना में देश के हरित क्षेत्र में 5188 वर्ग किमी की बढ़ोतरी हुई है जिसमें वन क्षेत्र में 3976 वर्ग किमी बढ़ोतरी शामिल है।

जावडेकर ने कहा कि वनक्षेत्र में बढ़ोतरी वाले अग्रणी राज्यों में कर्नाटक (1025 वर्ग किमी), आंध्र प्रदेश (990 वर्ग किमी), केरल (823 वर्ग किमी) और जम्मू कश्मीर (371 वर्ग किमी) शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्र में कमी दर्ज किए जाने वाले राज्यों में मणिपुर (499 वर्ग किमी), अरुणाचल प्रदेश (276 वर्ग किमी) और मिजोरम (180 वर्ग किमी) शामिल हैं। जावडेकर ने पूर्वोत्तर राज्यों में वन क्षेत्र में 765 वर्ग किमी की कमी आने के बारे में कहा कि इन राज्यों में 70 से 80 फीसद तक वन क्षेत्र बरकरार है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में झूम खेती के प्रचलन के कारण वनक्षेत्र में मामूली कमी आई है, लेकिन इसे रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

जावडेकर ने कहा कि हरित क्षेत्र में बढ़ोतरी वाले दुनिया के अग्रणी देशों में भारत शामिल है और इसमें सरकार की पर्यावरण हितैषी विकास नीतियों का प्रमुख योगदान है। उन्होंने कहा कि देश में 2014 से 2019 के दौरान अब तक हरित क्षेत्र में 13 हजार वर्ग किमी की वढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि सघन वन क्षेत्र, विरल वन क्षेत्र और सामान्य वन क्षेत्र, तीनों श्रेणियों में बढ़ोतरी दर्ज करने वाला भारत एक मात्र देश है। रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में वर्णित राज्यों के हरित क्षेत्र की स्थिति का जिक्र करते हुये जावडेकर ने कहा कि वन क्षेत्र के बाहर वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र में बढ़ोतरी वाले राज्यों में महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार समुद्री क्षेत्र के आसपास के वन क्षेत्र (मेंग्रोव) में भी दो साल में 54 वर्ग किमी का इजाफा हुआ है।

केंद्रीय मंत्री के अनुसार, मेंग्रोव में बढ़ोतरी वाले अग्रणी राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र और ओड़ीशा शामिल हैं, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में वनक्षेत्र 544 वर्ग किमी और आदिवासी क्षेत्रों में 1181 वर्ग किमी बढ़ा है। जावडेकर ने कहा कि देश के उत्सर्जित कार्बन में 2017 के पिछले आकलन के मुकाबले 4.26 करोड़ टन की वृद्धि हुई, जबकि बांस का हरित क्षेत्र 2.06 फीसद बढ़ोतरी के साथ 3229 वर्ग किमी हो गया है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट हमें भरोसा दिलाती है कि हम पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने की राह पर हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल 6.5 लाख गांवों में से 1.7 लाख गांव वनक्षेत्र के आसपास स्थित हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण दो साल के अंतराल पर आइएसएफआर रिपोर्ट प्रकाशित करता है। रिपोर्ट के अनुसार, देश में वनों में आग लगने की घटनाओं में 20 फीसद की कमी आई है। देश का 21 फीसद वनक्षेत्र आग लगने के खतरे के दायरे में है।

जावडेकर ने कहा कि उपग्रह आधारित तकनीक की मदद से वन अग्नि पर नियंत्रण के उपायों को सफलता पूर्वक लागू किया गया है। पहले से सूखा व जमीन के बंजर होने के खतरे से जूझ रहे बुंदेलखंड और विदर्भ जैसे इलाकों में हरित क्षेत्र की स्थिति के सवाल पर जावडेकर ने कहा कि रिपोर्ट में राजस्थान के हरित क्षेत्र में इजाफा, इस बात की ओर स्पष्ट संकेत है कि सूखाग्रस्त इलाकों में भी वानकीकरण के प्रयास सफल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में और विदर्भ के माही क्षेत्र में वन व हरित क्षेत्र बढ़ा है।

कर्नाटक : दुकानों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं को रात की पाली में काम की इजाजत मिलेगी

बंगलुरु, 30 दिसंबर (भाषा)।

कर्नाटक मंत्रिमंडल ने सोमवार को उस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी, जो रात के समय दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं को काम करने की इजाजत देता है। राज्य मंत्रिमंडल ने कर्नाटक दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी है। यह विधेयक 1961 के मूल अधिनियम में संशोधन करेगा। संशोधन विधेयक में कुछ खास शर्तों का भी जिक्र किया गया है जिनमें मुफ्त परिवहन सुविधाएं और पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्डों की तैनाती शामिल हैं।

मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए राज्य के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री जीसी मधुस्वामी ने कहा कि किसी व्यापारिक या व्यावसायिक कार्यालय और परिसरों सहित प्रतिष्ठानों में महिलाओं को रात की पाली में काम करने की अब तक इजाजत नहीं थी। उन्होंने कहा, 'उन्हें (महिलाओं को) अवसर मुहैया कराने के लिए हमने उनके रात में कामकाज को लेकर सुरक्षा को परिभाषित करते हुए अधिनियम में संशोधन करने का फैसला किया है।' इस संशोधन विधेयक को फरवरी 2020 में विधानसभा सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।

जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस

पेज 1 का बाकी

रक्षा मंत्री को पहले की तरह ही देते रहेंगे। सीडीएस के पास तीनों सैन्य प्रमुखों समेत कोई मिलिट्री कमांड नहीं होगा। सीडीएस तीनों सैनाओं के विभिन्न संगठनों का प्रशासक होगा। बतौर सीडीएस काम संभालने के तीन साल के भीतर जनरल रावत को तीनों सेनाओं में ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग, सपोर्ट सर्विस, कम्यूनिकेशन, रिपेयर्स, मेंटनेंस आदि में साझापन लाना होगा। सीडीएस को अनुमानित बजट के मुताबिक सेना के भीतर खरीद प्रस्तावों की प्राथमिकता तय करना होगा।

कांग्रेस नेता ने मोहन भागवत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई

हैदराबाद, 30 दिसंबर (भाषा)।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राव ने सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि संघ नेता ने यह कहकर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है कि सभी 130 करोड़ भारतीय 'हिंदू' हैं। भागवत ने 25 दिसंबर को यहां एक जनसभा में कहा था कि धर्म और संस्कृति पर ध्यान दिए बिना, जो लोग राष्ट्रवादी भावना रखते हैं और भारत की संस्कृति व उसकी विरासत का सम्मान करते हैं, वे हिंदू हैं और आरएसएस देश के 130 करोड़ लोगों को हिंदू मानता है।

राज्यसभा के पूर्व सदस्य राव ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया, 'भागवत के बयान से न केवल मुसलिमों, ईसाइयों, सिखों, पारसियों आदि की भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंची है, बल्कि यह भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ भी है।' उन्होंने कहा, 'इससे जनता के बीच सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा और इससे हैदराबाद में कानून व व्यवस्था की समस्या भी पैदा हो सकती है।' एलबी नगर पुलिस थाने के निरीक्षक अशोक रेड्डी ने संपर्क किए जाने पर बताया कि उन्हें कांग्रेस नेता से एक शिकायत मिली थी और इस संबंध में कानूनी राय ली जा रही है कि इसमें कोई मामला बनता है या नहीं।

पांच कश्मीरी नेता हिरासत से रिहा

श्रीनगर, 30 दिसंबर (भाषा)।

जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पांच अगस्त के बाद से हिरासत में रखे गए पांच राजनीतिक नेताओं को सोमवार को रिहा कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि ये पांचों नेता नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) और पीडीपी के हैं, जिन्हें एहतियाती हिरासत में रखा गया था। उन्हें रिहा कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि इन नेताओं में नेकां के इशफाक जब्बर और गुलाम नबी भट व पीडीपी के बशीर मीर, जहूर मीर और यासिर रेशी शामिल हैं। रेशी पीडीपी के बागी नेता माने जाते हैं जिन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बगावत कर दी थी। नए केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने 25 नवंबर को दो नेताओं-पीडीपी के दिलावर मीर और डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट के गुलाम हसन मीर-को रिहा किया था। गौरतलब है कि पांच अगस्त को केंद्र ने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाने और इस राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की घोषणा की थी।

हथियार लाइसेंस मामले में 13 जगह सीबीआइ छापे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 दिसंबर।

सीबीआइ ने हथियार लाइसेंस मामले के संबंध में जम्मू कश्मीर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के 13 स्थानों पर छापे मारे हैं। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर पुनर्गठन के बाद एजंसी का यह पहला बड़ा अभियान है।

अधिकारियों ने बताया कि आइएएस अधिकारी यश मुद्गल और राजीव रंजन समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के आवासों की तलाशी ली जा रही है। श्रीनगर, जम्मू, गुड़गांव और नोएडा में करीब 13 स्थानों पर छापे मारे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अलग-अलग जिलों से करीब दो लाख हथियार लाइसेंस जारी करने में कथित अनियमितताओं से संबंधित सीबीआइ के दो मामलों की जांच के सिलसिले में कुपवाड़ा, बारामूला, उधमपुर, किश्तवाड़, शोपियां, राजौरी, डोडा, पुलवामा के तत्कालीन उपायुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों के परिसरों की तलाशी ली जा रही है।

संबंधित उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट तलाशी ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा आरोप है कि तत्कालीन सरकारी अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर के अनिवासियों को नियमों का उल्लंघन करते हुए लाइसेंस जारी करने के बदले में कथित रिश्वत ली।

आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा इस मामले के संबंध में एक गिरोह का पर्दाफाश किए जाने के बाद राजस्थान के पुलिस महानिदेशक ओपी गल्होत्रा की सिफारिश पर सीबीआइ को यह मामला सौंपा गया। राजस्थान एटीएस का आकलन था कि आतंकवाद से पीड़ित जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों से पिछले दशक में करीब 4.29 लाख हथियार लाइसेंस जारी किए गए।

सीबीआइ बारामूला के तत्कालीन उपायुक्त व 2007 बैच के आइएएस अधिकारी मुद्गल, कुपवाड़ा के तत्कालीन उपायुक्त व 2010 बैच के आइएएस अधिकारी राजीव रंजन, कुपवाड़ा के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट इतरत हुसैन, किश्तवाड़ के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट सलीम मोहम्मद, किश्तवाड़ के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद जुनैद खान, राजौरी के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट एफसी भगत, डोडा के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट फारूक अहमद खान और पुलवामा के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट जहांगीर अहमद मीर के परिसरों की तलाशी ले रही है।

सीबीआइ ने जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति से इस संबंध में दो प्राथमिकियां दर्ज की थीं।

प्रधानमंत्री ने शुरू किया सोशल मीडिया अभियान

पेज 1 का बाकी

बाद भाजपा के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस अभियान में हिस्सा लिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पर्यावरण संरक्षण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर समेत कई ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया। जावड़ेकर ने ट्वीट किया, 'तथ्यों का प्रसार करिए, झूठ का नहीं। पिछले छह वर्षों में 2830 पाकिस्तानी, 912 अफगान और 172 बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी गई। इनमें से कई उन देशों के बहुसंख्यक समुदाय से हैं।'

जावड़ेकर ने कई ट्वीट करके सीएए के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया और प्रधानमंत्री के उस कथन को उद्धृत किया कि इसका किसी भी भारतीय नागरिक पर विपरीत असर नहीं होगा। भाजपा नेता जय पांडा ने कहा कि इस कानून का किसी भारतीय नागरिक पर विपरीत असर नहीं होगा।

चार उड़ानें रद्द, 530 में विलंब

पेज 1 का बाकी

का मार्ग बदला गया और करीब 530 उड़ानों में विलंब हुआ। हवाई अड्डे से विमानों का परिचालन श्रेणी थ्री बी परिस्थितियों में किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि रनवे दृश्यता रेंज (आरवीआर) 50 से 175 मीटर के बीच है। विमान परिचालन से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि कोहरे के कारण दोपहर 12 बजकर 52 मिनट तक 20 विमानों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है और चार उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सोमवार को दोपहर 12 बजकर 52 मिनट तक करीब 530 उड़ानों में देरी हुई जिनमें 320 प्रस्थान करने वाली उड़ानें और 210 आगमन उड़ानें शामिल हैं। दूसरी ओर इंडिगो एअरलाइंस ने एक बयान में कहा कि उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण पूरे भारत में हमारी उड़ानों पर असर पड़ा है। हम स्थिति की समीक्षा करते रहेंगे और अपने सोशल मंच पर ताजा जानकारियां देते रहेंगे। एअरलाइन ने यात्रियों से घरों से रवाना होने से पहले विमान के उड़ान भरने की जानकारी लेने और उसके ग्राहक सेवा केंद्रों से संपर्क करने का भी अनुरोध किया है।

उधर, विस्तारा एअरलाइन ने ट्विटर पर कहा कि दिल्ली में खराब दृश्यता के कारण उसकी दिल्ली-मुंबई उड़ान यूके933 के साथ ही मुंबई-दिल्ली उड़ान यूके 996 को रद्द कर दिया गया है। विस्तारा के साथ ही गोएयर, स्पाइसजेट व एअर एशिया इंडिया ने भी ट्विटर पर कहा कि दिल्ली में घने कोहरे और खराब दृश्यता के कारण उनके विमान संचालन पर असर पड़ सकता है। इन विमानन कंपनियों ने यात्रियों को ताकीद की कि वे हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहली अपनी-अपनी उड़ानों की स्थिति पता कर लें।

उपमुख्यमंत्री बने अजित, आदित्य को मंत्री पद

पेज 1 का बाकी

नेता अशोक चव्हाण, राकांपा नेता और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप वलसे पाटिल, विधान परिषद में विपक्ष के पूर्व नेता धनंजय मुंडे और विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता विजय वडेट्टीवार ने भी शपथ ली। ताजा विस्तार के बाद उद्धव सरकार में कुल 43 मंत्री हो गए हैं।

अजित पवार एक महीने में दूसरी बार उपमुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस सरकार के दूसरे अल्पकालीन कार्यकाल में अजित पवार ने राकांपा से बगावत कर 23 नवंबर को उपमुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी। फडणवीस सरकार बहुमत पाने में असफल रही तो 26 नवंबर को पवार को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद उनकी घर वापसी हुई और गठबंधन सरकार के लिए तय फार्मूले के तहत उन्हें वही ओहदा मिला।

ताजा मंत्रिमंडल विस्तार में शिवसेना से आठ कैबिनेट और चार राज्यमंत्री बनाए गए हैं। राकांपा से 10 कैबिनेट और चार राज्यमंत्री बने हैं। कांग्रेस से आठ कैबिनेट और दो राज्यमंत्री बनाए गए हैं। इनमें चर्चित चेहरा हैं अशोक चव्हाण। वह महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वह आठ दिसंबर 2008 से नौ नवंबर 2010 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाला में नाम आने पर उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके अलावा अशोक चव्हाण ने विलासराव देशमुख सरकार में भी मंत्री पद संभाला था।

ताजा विस्तार के बाद उद्धव सरकार में कुल 43 मंत्री हो गए हैं। 28 नवंबर को उद्धव सरकार ने जब शपथ ली तो उस वक्त तीनों दल शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा से दो-दो मंत्री बनाए गए थे।

'प्रियंका ने तोड़ा सुरक्षा प्रोटोकॉल'

पेज 1 का बाकी

यात्रा करके सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का दोषी भी ठहराया। सीआरपीएफ ने एक बयान में कहा है कि कांग्रेस नेता ने पूर्व सूचना के बिना यात्रा की, इसलिए अग्रिम सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जा सके। बल प्रियंका गांधी को मिली जेड प्लस सुरक्षा घेरे के तहत उन्हें सशस्त्र कमांडो मुहैया कराता है।

बल के महानिरीक्षक (खुफिया और वीआइपी सुरक्षा) पीके सिह के नाम से जारी बयान में कहा गया है, 'अधिकारियों द्वारा सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई।' उस समय हजरतगंज के सीओ अभय मिश्रा सुरक्षा अधिकारी थे। प्रियंका गांधी के कार्यालय ने 28 दिसंबर को सिंह के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि लखनऊ में पुलिस के सर्किल अधिकारी (सीओ) ने उनके सुरक्षाकर्मियों को धमकी दी और उस दिन आवाजाही को सीमित रखने के लिए चेताया। बयान में कहा गया है प्रियंका गांधी ने सीआरपीएफ के दल को उस दिन 'केवल एक कार्यक्रम' के बारे में बताया था, जो उनके स्थानीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) कार्यालय में पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बारे में था।

रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाने वालों से भरपाई की जाएगी

पेज 1 का बाकी

तक को आग के हवाले कर दिया। यादव ने कहा, 'संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान रेलवे को 80 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। इसमें पूर्व रेलवे को 70 करोड़ और उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे को 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।'

यादव ने कहा, 'इसकी क्षतिपूर्ति उन लोगों से की जाएगी जो आगजनी एवं हिंसा में संलिप्त पाए गए हैं। हालांकि, यह शुरुआती अनुमान है और अंतिम विश्लेषण के बाद ये आंकड़े बढ़ सकते हैं।' प्रदर्शनों के दौरान पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनकारियों ने संकरेल रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर के एक हिस्से को जलाया, सुजनीपारा रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की, कृष्णापुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों को आग के हवाले किया और पड़ोसी मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर स्टेशन पर तोड़फोड़ की। रेलवे द्वारा इन मामलों में नामजद लोगों से इसकी क्षतिपूर्ति करने की उम्मीद है।

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। यादव ने कहा, 'कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और वे लोग इस पर काम कर रहे हैं। भरपाई की जाएगी।' हालांकि, उन्होंने इसके तौर तरीकों के बारे में बताने से इनकार कर दिया।

असम में भी रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, जहां उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे को ट्रेनें रद्द करने से नुकसान हुआ। सूत्रों ने संकेत दिया है कि रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के दोषी पाए गए लोगों पर भारतीय रेल अधिनियम की धारा 151 लगाई जाएगी, जिसके तहत अधिकतम सात साल की कैद की सजा है।

सोशल मीडिया, स्मार्टफोन के उपयोग पर नौसेना ने लगाई रोक

पेज 1 का बाकी

युद्धपोतों पर स्मार्टफोन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। मैसेजिंग ऐप और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी प्रतिबंध है। फेसबुक पर प्रतिबंध के दायरे में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम भी हैं। नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नौसैनिक अड्डों और पोतों पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अन्य मैसेंजर समेत सभी तरह के सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्म की इजाजत नहीं होगी। साथ ही, पोतों और नेवल बेस पर अब स्मार्टफोन की भी इजाजत नहीं होगी।

खुफिया एजंसियों ने सैन्य बलों को सतर्क किया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजंसी आइएसआइ ने सोशल मीडिया के जरिए भारतीय सुरक्षा बलों के जवानों को हनीट्रैप में फंसाने का बड़ा प्लान तैयार किया है। जासूसी रैकेट का खुलासा होने के बाद पूरे मामले में जांच का जिम्मा एनआइए को सौंपा गया है।

दरअसल

119 साल में दिसंबर में सोमवार रहा दिल्ली का सबसे ठंडा दिन

पेज 1 का बाकी

तापमान 2.9, लोधी रोड में 2.2 और आयानगर में 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली की वायु गुणवत्ता सुबह आठ बजकर 38 मिनट पर गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। इस दौरान एक्यूआइ 450 रहा।

जम्मू-कश्मीर में भी सोमवार को ठंड का कहर जारी रहा। शीतकालीन राजधानी जम्मू में रविवार रात 10 सालों में अब तक की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया कि यहां पारा लुढ़क कर 2.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। विभाग ने बताया कि शहर में सबसे सर्द रात 28 दिसंबर 1998 को दर्ज की गई थी जब पारा 0.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसके बाद इतनी ठंड 31 दिसंबर, 2007 को पड़ी जब तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। घने कोहरे के चलते जम्मू हवाईअड्डे पर सुबह की सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं।

वहीं श्रीनगर में ठंड लगातार अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है जहां शहर में बीती रात अब तक की सबसे सर्द रात दर्ज की गई, वहीं सोमवार को न्यूनतम तापमान शून्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। उत्तर कश्मीर के गुलमर्ग में पिछली रात तापमान शून्य से 7.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया जो इससे पहली रात शून्य से 6.6 डिग्री सेल्सियस नीचे था। पहलगाम रिजॉर्ट में रात का तापमान शून्य से 10.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले का पहलगाम घाटी का सबसे ठंडा स्थान दर्ज किया गया। वहीं काजीगुंड में तापमान शून्य से 9.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। कोकेरनाग में तापमान शून्य से 7.3 डिग्री सेल्सियस जबकि उत्तर कश्मीर में स्थित कुपवाड़ा में शून्य से 5.6 डिग्री सेल्सियस नीचे का दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड जैसे हिमालयी क्षेत्र में नए साल के पहले हफ्ते में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। इस दौरान बर्फबारी के भी आसार हैं।

हरियाणा और पंजाब में कड़ाके की ठंड पड़ने के कारण सोमवार को कई जगहों पर तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। अमृतसर में 1.2 डिग्री, लुधियाना, पटियाला और गुरदासपुर में न्यूनतम तापमान क्रमशः 4.6, 4.5 और 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है जहां तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा में रोहतक 1.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा। अंबाला, हिसार, करनाल, नारनौल, भिवानी और सिरसा में क्रमशः 2.7 डिग्री, 3.6 डिग्री, 2.8 डिग्री, 1.5 डिग्री, 2.8 डिग्री और 2.7 डिग्री सेल्सियस मापा गया। देश के उत्तर ही नहीं मध्य व दक्षिणपूर्वी हिस्से भी ठंड की चपेट में आ गए हैं। ओडिशा में भी सर्दी का प्रकोप जारी है। राज्य में सोमवार को 16 स्थानों पर तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया। पश्चिमी क्षेत्र में 4.5 डिग्री के साथ सोनेपुर सबसे ठंडा स्थान रहा ।

राजस्थान के के प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। शीतलहर और न्यूनतम तापमान में गिरावट के चलते राज्य में कड़ाके की सर्दी का दौर लगातार तीसरे दिन जारी है। मौसम विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के अधिकतर हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है। सीकर में सोमवार सुबह न्यूनतम तापमान शून्य से पांच डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। राज्य की राजधानी जयपुर में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। पिलानी में न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 1.3 डिग्री, श्रीगंगानगर में 1.5 डिग्री, वनस्थली में 2.2 डिग्री और बूंदी में 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मेरी नहीं, जनता की सुरक्षा अहम : प्रियंका

पेज 1 का बाकी

बात ही नहीं है। प्रियंका ने यहां संवाददाताओं से कहा, 'मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि वह बदला लेंगे। उनके उस बयान पर पुलिस प्रशासन कायम है। इस देश के इतिहास में शायद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया।' उन्होंने कहा, 'उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने भगवा वस्त्र धारण किए हैं। भगवा धारण किया है। यह भगवा आपका नहीं है। यह भगवा हिंदुस्तान की धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा का है। यह हिंदू धर्म का चिह्न है।...उस धर्म में रंज, हिंसा और बदले की भावना की कोई जगह नहीं है।' प्रियंका ने कहा, 'यह कृष्ण भगवान का देश है जो करुणा के प्रतीक हैं। भगवान राम करुणा के प्रतीक हैं। शिव जी की बारात में सब नाचते हैं। इस देश की आत्मा में हिंसा, बदला, रंज इन चीजों की जगह नहीं है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को प्रवचन दिया। महाभारत के युद्ध में जब वह महान योद्धा युद्ध के मैदान में खड़े थे तब कृष्ण ने रंज और बदले की बात नहीं की। उन्होंने करुणा और सत्य की बात उभारी।' कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सुबह उनकी पार्टी की तरफ से राज्यपाल को एक चिट्ठी भेजी गई है।

उन्होंने आरोप लगाया, 'कुछ दिनों से हम सब और पूरा प्रदेश देख रहा है कि प्रदेश सरकार, प्रशासन और पुलिस द्वारा कई जगह अराजकता फैलाई गई है। उन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं जिनका कोई न्यायिक आधार नहीं है।' प्रियंका ने कहा, 'मीडिया की रिपोर्ट और आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 5,500 लोग हिरासत में हैं और लगभग 1100 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अनाधिकारिक रूप से यह संख्या इससे काफी ज्यादा है। कई केस गुमनाम के नाम दर्ज हुए हैं। लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है। पुलिस ने एक महिला को घेरकर पीटा है। इनके वीडियो हैं।'

इस सवाल पर कि क्या लोगों के पास वैध नागरिकता का प्रमाणपत्र नहीं होना चाहिए, प्रियंका ने कहा, 'एनआरसी वैध नागरिकता का प्रमाणपत्र नहीं है। एनआरसी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये बहाना है एनआरसी लागू करने का। कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्रियों ने कह दिया है कि उनके प्रदेश में एनआरसी नहीं लागू होगा। अन्य पार्टियों ने भी कह दिया है। जनता ही यह लागू नहीं होने देगी।' महिलाओं पर अत्याचार को लेकर किए गए सवाल पर प्रियंका ने कहा कि महिलाओं पर जब जब अत्याचार हो रहा है, तब तब कांग्रेस आवाज उठा रही है, चाहे वह उन्नाव का मामला हो, शाहजहांपुर और मैनपुरी का मामला हो।

सार्वजनिक संपत्ति को जलाया जाना कितना उचित है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'पहले तो स्पष्ट होना चाहिए कि किसने जलाया? सबसे पहले जांच होनी चाहिए।

www.readwhere.com

नक्सलियों ने पूर्व सरपंच को गोली मारकर घायल किया

बीजापुर, 30 दिसंबर (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में नक्सलियों ने पूर्व सरपंच को गोली मार दी। घायल पूर्व सरपंच को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को यहां बताया कि जिले के चिहका गांव के पूर्व सरपंच बोटी लेकाम (55) को नक्सलियों ने गोली मार दी है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि बीते रविवार की रात को हथियारबंद नक्सली लेकाम के घर पहुंचे और उसे घर से बाहर निकालकर गोली मार दी।

घटना को अंजाम देने के बाद नक्सली वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी जब ग्रामीणों को मिली तब लेकाम को बीजापुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लेकाम के पैर में गोली मारी गई है तथा उसकी हालत खतरे से बाहर है।

प्रपत्र सं आइएनसी 26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्रीय सरकार/प्रादेशिक निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) की उपधारा और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) के उपनियम के खंड (अ) के मामले में

और

त्रिक्षम मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : एच नम्बर 3706 हिल रोड ए/कैंट, अंबाला कैंट, अंबाला एचआर 133001 में में स्थित है के मामले में

.....याचिकाकर्ता

आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय **हरियाणा राज्य से पंजाब राज्य** में स्थानांतरित करने के लिए तारीख **27 दिसम्बर, 2019 का सुबह 11:00 बजे** आयोजित असाधारण सामान्य सभा में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निदेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके नीचे दिये गए रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

एच नम्बर 3706 हिल रोड ए/कैंट, अंबाला कैंट, अंबाला एचआर 133001

उनके लिए और निदेशक मंडल की ओर से
त्रिक्षम मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
धनश्याम गुप्ता
डीआईएन : 08381050
निदेशक

तिथि : 28.12.2019
स्थान : हरियाणा

IDBI BANK
CIN: L65190MH2004GOI148838

शाखा- मुरादाबाद
ईमेल- ankur.garg@idbi.co.in

परिशिष्ट-IV नियम-8(1) सांकेतिक कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईडीबीआई बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का सं. 54) की धारा 13(12) और प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के सपठित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एक मांग नोटिस दिनांक 18.10.2019 को जारी करते हुए ऋणी श्री कमल कुमार पुत्र श्री मदन सिंह, मैसर्स श्री बाबाजी ट्रेडर्स को उक्त नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित रूपये 22,54,996.00 (रूपये बाईस लाख चौवन हजार नौ सौ छियानवें मात्र) की राशि को लौटाने के लिये निर्गमित किया।

ऋणी द्वारा सम्पूर्ण राशि के भुगतान करने में असफल होने पर, ऋणी एवं आमजन को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की उप- धारा (4) एवं धारा 13 के सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को निम्नलिखित सम्पत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है।

ऋणी को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया सावधान किया जाता है, कि इस सम्पत्ति बाबत् कोई व्यवहार नहीं करें और किये गये व्यवहार पर आईडीबीआई बैंक लि. के रू. 22,54,996.00 (रूपये बाईस लाख चौवन हजार नौ सौ छियानवें मात्र) एवं उसके पश्चात ब्याज एवं प्रभार के अध्यधीन होगा। ऋणीयों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर, आकृष्ट किया जाता है।

सम्पत्ति का विवरण

रिहायसी मकान के सभी अंश एवं हिस्से गठित होते है, जिसका क्षेत्रफल 44.6520 वर्ग मीटर जो नवाबपुरा, जिला-मुरादाबाद-244001 में स्थित है, जिसकी सीमाएं- उत्तरः गली, दक्षिणः चन्द्रसेन का मकान, पूर्वः गली, पश्चिमः चुन्ना का मकान।

सभी भवनों तथा उसके ढांचों के साथ तथा समस्त प्लान्ट एवं मशीनरी जो स्थायी रूप से भूमि से जुड़े हुए है अथवा उनका कोई हिस्सा भूमि से जुड़ा हो के साथ।

दिनांक 26.12.2019 स्थान : मुरादाबाद
प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लि.

माननीय राष्ट्रीय लॉ ट्रिब्यूनल,
चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ
के समक्ष
सीए (सीसीए) सं. 34 /सीएचडी /सीएचडी / 2019
के साथ जुड़ी कंपनी याचिका (सीएए) सं. 24 / सीएचडी / सीएचडी /2019

इनके समामेलन की योजना के मामले में :

सहयोग प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड,
जिसका पंजीकृत कार्यालय : पैन सं. : AABCS1639K के साथ एससीओ – 69, पहला तल, सेक्टर – 32सी, चंडीगढ़ 160030 (सीआईएन – U74899CH1995PTC042510) में है।
..... अंतरणकर्ता कंपनी – 1

और

चंद्र मुखी गुड्स प्राइवेट लिमिटेड,
जिसका पंजीकृत कार्यालय : पैन नं. : AACCC3097N के साथ एससीओ – 69, पहला तल, सेक्टर – 32सी, चंडीगढ़ 160030 (सीआईएन – U51909CH1995PTC042509) में है।
..... अंतरणकर्ता कंपनी – 2

के साथ

विमी इंवेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय : पैन नं. : AAACV0590M के साथ एससीओ–69, पहला तल, सेक्टर–32सी, चंडीगढ़ 160030 (सीआईएन – U74110CH1992PTC042512)
..... अंतरिती कंपनी

याचिका की सूचना

सहयोग प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ("याचिकाकर्ता सं. 1/अंतरणकर्ता कंपनी"), **चंद्र मुखी गुड्स प्राइवेट लिमिटेड** ("याचिकाकर्ता सं. 2/अंतरणकर्ता कंपनी") और **विमी इंवेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड** ("याचिकाकर्ता सं. 1 / अंतरिती कंपनी") के बीच समामेलन की योजना को मंजूरी देने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 के तहत याचिका पर दिनांक 02.12.2019 को सुनवाई हुई थी और दिनांक 06.12.2019 के आदेश द्वारा, उक्त याचिका माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ के समक्ष 05.02.2020 से पहले सुनवाई के लिए निर्धारित है।

उक्त याचिका का समर्थन करने या विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को याचिकाकर्ताओं के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को, उसकी इच्छा की सूचना, उसके या उसके वकील द्वारा हस्ताक्षरित, उसके नाम और पते के साथ भेजना चाहिए, ताकि यह याचिका की सुनवाई के लिए तय तारीख से दो दिन पहले याचिकाकर्ताओं के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तक पहुंच सके। जहां, वह याचिका का विरोध कर सकता है, विरोध के आधार या उसके हलफनामे की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को एक प्रति के साथ इस तरह के नोटिस के साथ दी जाएगी। याचिका की एक प्रति के लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर समान आवश्यकता वाले किसी भी व्यक्ति को अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

हस्ता./–
नहुष जैन, वकील
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
पता : नं. 3411, पहला तल, सेक्टर – 38–डी
चंडीगढ़ – 160036

स्थान : चंडीगढ़
दिनांक : 31.12.2019

दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (दक्षिण) II
जल सदन, लाजपत नगर, नई दिल्ली
एन.आई.टी. सं. 48/एस-II/2019-20

प्रैस निविदा

क्रम सं.	कार्य का विवरण	आरक्षित मूल्य	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा डाउनलोड एवं आरटीजीएस की अंतिम तिथि/समय
1.	ईई (एस)II (एसी-41, जंगपुरा) के अंतर्गत निजामुद्दीन वेस्ट तथा धोबी घाट, भोगल के निकट मंदिर से बारापुल्ला ड्रेन में आने वाली डिस्चार्ज का ट्रैपिंग।	रु. 4238080/-	2019_DJB_186601_7 27.12.2019	16.1.2020 के 2.00 बजे अप. तक।
2.	ईई (एस) II (एसी-41, जंगपुरा) के अंतर्गत मथुरा रोड से बस्ती निजामुद्दीन तक वाटर लाइन का विस्थापन।	रु. 4049670/-	2019_DJB_186601_8 27.12.2019	16.1.2020 के 2.00 बजे अप. तक।

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/743

हस्ता./-
कार्यपालक अभियंता (दक्षिण) II

वसूली अधिकारी–I का कायोलय
ऋण वसूली न्यायाधिकरण–III, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

ई–नीलामी बिक्री सूचना

आर.सी. सं. 89/2014
दिनांकित : 23–11–2019

केनरा बैंक बनाम रोमी मल्होत्रा

"आदेश"

मेरे आदेश दिनांकित 23–11–2019 के अनुसार उक्त वसूली प्रमाणपत्र में निम्नवर्णित सम्पत्ति केनरा बैंक बनाम रोमी मल्होत्रा के मामले में ई–नीलामी बिक्री द्वारा बेची जाएगी।

नीलामी बिक्री वेबसाइट https://www.drtauctiontiger.net के माध्यम से "ऑनलाइन ई–नीलामी" होगी।

नीलामी की तिथि एवं समय : 31–01–2020 को अपराह्न 03.00 बजे और अपराह्न 04.00 बजे के बीच (यदि आवश्यक हो तो समाप्ति से पूर्व बोली प्राप्त होने पर 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ)।

क्र.सं.	दोनों आरसी में संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमडी
1.	प्लॉट नंबर 106/12, न्यू नंबर 106/12–ए खसरा नंबर 106/12 विलेज मुंडका कॉलोनी का हिस्सा है, जिसे दिल्ली में 'स्वर्ण पार्क' के नाम से जाना जाता है, जो 410 वर्ग गज का है।	रु. 60,00,000/– ईएमडी– 6,00,000/–

नियम और शर्तें

1. नीलामी/बोली केवल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से होगी।
2. इच्छुक बोलीदाता को अग्रिम में सेवा प्रदाता के पास भागीदारी का पंजीकृत करना होगा तथा ई–नीलामी में भाग लेने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा। निर्धारित पद्धति में वांछित धरोहर राशि का भुगतान कर ही वह प्राप्त किया जा सकता है।
3. ईएमडी का भुगतान **29.01.2020 तक रिकवरी अधिकारी–I, ऋण वसूली अधिकरण–III, दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/पे आर्डर द्वारा रिकवरी अधिकारी–I, डीआरटी–III, दिल्ली** के पास करना होगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई–नीलामी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
4. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई–मेल आईडी, मोबाईल न. तथा यदि व अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हो तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद में मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/काउंटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई–मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुँच जाए तथा उसकी हार्ड कॉपी, रिकवरी अधिकारी–I, डीआरटी–III, दिल्ली के पास जमा की जायेगी।
5. संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता **मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एबीसी प्रोक्योर), ए–201/208, वॉल स्ट्रीट– II, ओरिएंट क्लब के सामने गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद –380006 गुजरात (भारत) दूरभाषः 91 079 61200594/598/ 568/ 587/ 538 से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं** तथा ई–नीलामी एवं यह बोली "ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक बोली" द्वारा वेबसाइटः **http://drt.auctiontiger.net** के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
   अधिक जानकारी के लिए श्री नीतीश झा मोबाइल नं. 7982880393 ईमेलः delhi@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net से संपर्क करें।
6. **किसी भी प्रकार की पूछताछ और संपत्ति के निरीक्षण के मामले में, इच्छुक क्रेता सीएच बैंक के अधिकारी से संपर्क कर सकता हैः अधिक जानकारी के लिए संपर्क करेंः श्री सी. वी. रॉय, मोबाइल नं.: 9560062365, 011–28751655, 28751723, श्री एम. के. पांडे, मोबाइल नं. 8755128475।**
7. संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए वेबसाइट **https://www.drt.auctiontiger.net** पर जाएं।
8. संपत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा।
9. बोलीदाता **रु. 1,00,000/–** के गुणांक में प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं।
10. संपत्ति की बिक्री **"जैसा है जहाँ है तथा जो भी वहां है आधार पर"** की जाएगी।
11. सफल बोलीदाता को **बिक्री की घोषणा के अगले दिन यानी 3:00 बजे अप. उपर्युक्त पैरा 3 में वर्णित विवरणों के अनुसार उक्त खाता** में ईएमडी को समायोजित करने के बाद **25% बिक्री मूल्य** का भुगतान करना होगा। यदि अगले दिन रविवार या अवकाश होता है, तो फिर अगले कार्य दिवस को।
12. सफल उच्चतम बोलीदाता को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व तथा यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस में ऊपर पैरा में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में अंतिम बोली राशि के शेष 75% का भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को रु.1000/– तक 2% की दर से तथा रु.1000/– की उक्त राशि के अधिक पर 1% की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी–III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से वसूली अधिकारी–I, डीआरटी–III, दिल्ली के पास पाउंडेज शुल्क का भी भुगतान करना होगा।
13. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद, संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को चुकाने के बाद यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे। बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी। पुनः क्रेता अपनी अंतिम बोली राशि तथा उस राशि जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी, के बीच के अंतर की भरपाई करने के लिये उत्तरदायी होंगे।
14. वसूली अधिकारी को किसी भी बोली या बोलियों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने या बिना किसी कारण बताए ई–नीलामी को स्थगित या रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।
15. असफल बोलीदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि अपने ईएमडी के रिफंड के लिए आरसी की सुनवाई की निर्धारित तिथि को अथवा उससे पूर्व डीआरटी–III की रजिस्ट्री में पहचान के प्रमाण के साथ आवेदन दाखिल करें, जो तदनुसार आरसी की सुनवाई की निर्धारित/ परवर्ती तिथि को वापस लौटाई जाएगी।

(अनिल कुमार यादव)
वसूली अधिकारी–I, डीआरटी–III, दिल्ली

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के अंतर्गत योजना जमा करने के लिये आमंत्रण

केएसएस पेट्रॉन प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में)

पंजीकृत कार्यालयः स्वास्तिक चैम्बर्स, छ ठा तल, सिऑन ट्राम्बे रोड, चेम्बूर, मुम्बई-400071, महाराष्ट्रः CIN:U45400MH2007PTC234297

केएसएस पेट्रॉन प्राईवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट ऋणधारक/कम्पनी के सदस्यों अथवा उनके/क्रेडीटरों के किसी वर्ग अथवा उनके किसी वर्ग से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के अंतर्गत समझौता तथा व्यवस्था की योजना के आमंत्रण की सूचना पर ध्यान दें।)

कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत योग्य कम्पनी के इच्छुक सदस्यों/क्रेडीटरों कम्पनी को पुनर्जीवित करने के लिये अपनी योजना ईमेल द्वारा उनके नीचे वर्णित किसी भी ईमेल आईडी पर अथवा मुहरबंद लिफाफे में कार्यालय के पते पर अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर सकते हैं। इस संदर्भ में कोई भी पूछताछ अधोहस्ताक्षरी को संबोधित की जा सकती है। यह योजना अधिकतम 30.01.2020 तक जमा की जा सकती है।

हस्ता./-
सीएस विनीत के चौधरी
(परिसमापक)
केएसएस पेट्रॉन प्राईवेट लिमिटेड के मामले में
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00103/2017-2018/10246
liquidatorksspetron@vkcindia.com (प्रक्रिया विशेष)
ip.vineetchaudhary@gmail.com (आईबीबीआई में पंजीकृत)
टेलीफोन नम्बरः 011-49121644-45
आईबीबीआई में पंजीकृत परिसमापक का पता
डी-38, एलजीएफ (एल/एस), साउथ एक्स्टेंशन पार्ट-II, नई दिल्ली-110049
तिथिः 30.12.2019
स्थानः नई दिल्ली

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन

केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

बी आर प्लानर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय "फ्लैट नं.-ए-1, साई अपार्टमेन्ट, एक्सपोर्ट एन्क्लेव, नई बस्ती, देवली, नई दिल्ली-110062" में है, के मामले में

---आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी) दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए बुधवार, सितम्बर, 2019 को आयोजित वार्षिक आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति क्षेत्रीय निदेशक में निहित के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौहद दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पते, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

पंजी. कार्यालयः
"फ्लैट नं.-ए-1, साई अपार्टमेन्ट, एक्सपोर्ट एन्क्लेव, नई बस्ती, देवली, नई दिल्ली-110062"

कृते एवं के लिये, बी आर प्लानर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
दीप माथुर
निदेशक
DIN: 03037557

तिथिः 30.12.2019
स्थानः नई दिल्ली

DEWAN SUGARS LIMITED

CIN: L67120UP1996PLC020075
R.O.: Bypass Road, Partapur, Meerut, Uttar Pradesh- 250103
Tel. No.: +91-121-2441003, Email ID: dewansugars@hotmail.com
Website : www.dewansugarsindia.com

This Public Announcement (**"PA"**) is being issued by Mr. Vivek Dewan one of the promoters of Dewan Sugars Limited (**"the Company"** or **"Dewan Sugars"** or **"ELC"**) on behalf of promoters & promoter group to the public shareholders of Company, pursuant to the circular issued by the **Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**)** bearing No. CIR/MRD/DSA/05/2015 dated 17th day of April 2015 and **Circular No. SEBI/HO/MRD/DSA/CIR/P/2016/110 dated 10.10.2016**.

The equity shares of your Company were listed at Delhi Stock Exchange Limited, Uttar Pradesh Stock Exchange Limited and Ahmedabad Stock Exchange Limited, which have been derecognized by SEBI, thus your Company lost its status as a Listed Company and has been referred to Dissemination board of BSE Limited.

The promoters of the Company have appointed Khambatta Securities Limited a SEBI registered Category- 1 Merchant Banker and empanelled with BSE Limited as an Independent Valuer. The said independent Valuer in its valuation report has determined that the Networth of Company is negative and the fair value of equity share of the Company is Rs. (26.13) per share. Thus as per aforesaid SEBI Circular and Guidelines issued by BSE in this behalf, the Company is applying to BSE Limited for removal of its name from Dissemination Board of BSE Limited without giving any exit option to public shareholders.

All queries in this regard may be directed to Mr. Rakesh Kumar Agarwal, at Bypass road, Partapur, Meerut, Uttar Pradesh Tel. No.: +91- 121-2441003, Mobile: +91-90846-72914, Email Id: dsluday@gmail.com

Sd/-
Vivek Dewan
Promoter & Director
Dewan Sugars Limited

Place : Meerut
Date : 30.12.2019

दिल्ली कृषि विपणन परिषद्

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)
9 इंस्टीटूशनल एरिया, पंखा रोड जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
फोनः- 28522085, 28525232 फैक्स-011-28522085, ई-मेलः- ambdl@nic.in,
वेबसाइटः- www.delagrimarket.nic.in

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

उपाध्यक्ष डी ए एम बी, की ओर से ई-निविदा के माध्यम से निम्नलिखित मद दर ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैः-

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	पूरा करने की अवधि	ई- प्रोक्योरमेंट समाधान के माध्यम से निविदाओं की प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा आई.डी. संख्या/ एन.आई.टीः
1	मछली बाजार गाजीपुर में पार्क (बागवानी का कार्य) 04 नग का विकास और वार्षिक रखरखाव करना	Rs. 11,89,854/-	Rs. 23,800/-	3 महीने व कार्य पूरा होने के बाद 2 साल का रखरखाव करना	09/01/2020 को 15.00 बजे तक	2019_डी.ए.एम.बी._186516_1 16/डी.ए.एम.बी./इंजी/पी ई-II/2019-20

निविदाएं परियोजना अभियंता-II, 9 इंस्टीटूशनल एरिया, पंखा रोड जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 के कार्यालय में ऑनलाइन खोली जायेंगीः- (i) तकनीकी बोली दिनांक 09/01/2010 को 15:30 बजे खोली जाएगी।

नियम व शर्तें एवं अन्य विवरण वेबसाइटः- **https://govtprocurement.delhi.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

हस्ता./-
परियोजना अभियंता-II

DIP/Shabdarth/1210/19-20

जीआईसी हाउसिंग फाइनैंस लि.

मुख्य कार्यालयः– नैशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग, छठा तल, 14, जमशेदजी टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई–400 020
नौएडा शाखा कार्यालयः 104–105, प्लॉट नम्बर पी–1, प्रथम तल, विशाल चैम्बर्स, सेक्टर–18, नोएडा–201301
टेलीफोन नम्बर : 0120–4205678, 4213037, 2511751, 2514145

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, की धारा 13 (2) के अधीन

जीआईसी एचएफ लिमिटेड ने निम्नलिखित कर्जदारों को जीआईसी एचएफ लिमिटेड के पक्ष में साम्यिक बंधक सृजन द्वारा निर्माणाधीन परिसर के क्रय हेतु ऋण मंजूर किए हैं। ऋणों का प्रतिभुगतान अनियमित है तथा राष्ट्रीय आवास बैंक के निर्देशों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार खाता अंततः अनार्जक आस्ति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।

जीआईसी एचएफ लिमिटेड ने सरफासी ऐक्ट, 2002 की धारा 13(2) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग किया है तथा कर्जदारों से उनकी तरफ बकाया कुल राशि प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 3 से अनुसरण में संबंधित मांग सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई है। कर्जदार ने उक्त सूचना की प्राप्ति स्वीकार नहीं की है।

अतएव, एतद्द्वारा निम्नलिखित कर्जदारों से दोबारा सार्वजनिक रूप से उनकी तरफ बकाया यहाँ नीचे वर्णित कुल राशि का भुगतान उस पर ब्याज एवं प्रभारों सहित आज की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की जाती है, जिसमें असफल रहने पर जीआईसी एचएफ लिमिटेड परिसर का कब्जा प्राप्त करने इसको बेचने तथा बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि उक्त बकाया राशि से समायोजित करने के लिए अपने किसी भी या सभी कानूनी अधिकारों का प्रयोग करेगी।

कर्जदार पर सम्पत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण अथवा उसके संबंध में तृतीय पक्ष हित सृजित करने पर भी रोक लगी है।

क्र. स.	ऋण फाइल संख्या व ऋण धारक का नाम	बंधक रखी सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि नोटिस की तिथि तक	डिमांड नोटिस की तिथि
1	यूपी0211300104109 श्री संजय शर्मा और श्रीमती अशर्फी शर्मा	खसरा नं. 1316, रेलवे रोड, एसकोर्ट कॉलोनी, अग्रसेन इंटर कॉलेज के पास दादरी, उत्तर प्रदेश पिन कोड–203207	4,93,255/-	06.12.2019
2	यूपी0211300103554 श्री राजकुमार अरोड़ा और श्रीमती संगीता अरोड़ा	फ्लैट नं. 2, ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नं. 218, सेक्टर नं. 4, वैशाली, उत्तरप्रदेश, पिनकोड–201010	6,73,459/-	06.12.2019
3	यूपी0210610002492 श्री रोबिन कांत उपाध्याय और श्रीमती सरोज उपाध्याय	हाऊस नं. 387, ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नं. 387, शक्ति खण्ड–III, इंदिरापुरम, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश पिन कोड–201010	35,16,503/-	06.12.2019
4	यूपी0210610002697 श्री आर्यन झा	खसरा नं. 1154, हंस कॉम्पलेक्स, फ्लेट नं. 2, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर–40, गौतमबुद्ध नगर, बरौला, नोएडा, उत्तर प्रदेश पिन कोड–201301	10,36,402/-	06.12.2019
5	यूपी0210610001794 श्री अनुराम गौर और श्रीमती गरिमा गौर	फ्लैट नं. 15 द्वितीय तल, प्लॉट नं. सी–83 और 84, केसर गार्डन, हिंडन विहार, बरौला, दादरी, उत्तर प्रदेश पिनकोड–203207	16,69,273/-	06.12.2019
6	यूपी0210610002320 श्री इंदरपाल सिंह जौली	फ्लैट नं. बी–8, फस्ट, प्लॉट नं. बी–17–18, आर्य विहार, सैक्टर–73 के पास, सर्फाबाद, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश पिन कोड–201304	17,95,955/-	06.12.2019
7	यूपी0211300102475 श्री राम प्रकाश और श्री दीपक कुमार	खसरा नं. 121, प्लॉट नं. 193/1, विकास कुंज कॉलोनी बेहटा, बेहटा हाजीपुर, लोनी, यू0पी0 पिन कोड–201102	3,27,885/-	06.12.2019
8	यूपी0211300100911 श्री स्नेह दीप सिंह	फ्लैट नं. एस–2/बी, द्वितीय तल अपार्टमेन्ट सी–2 कोष, कोशाम्बी, लोनी, उत्तर प्रदेश पिन कोड–201012	2,84,183/-	06.12.2019
9	यूपी0211300100893 श्री अनिल कुमार	खसरा नं. 436, कुल्हेशरा फेश–II, दादरी, उत्तर प्रदेश पिन कोड–201306	2,14,716/-	06.12.2019
10	यूपी0211300100902 श्री भगवान कौशिक	खसरा नं. 31/3, लेंडमार्कः एनएच–24, डून्डाहेडा, लोनी, उत्तर प्रदेश पिन कोड–201306	2,57,821/-	06.12.2019
11	यूपी0211300103642 श्री मनीष भटट्	फ्लैट नं. 9, द्वितीय तल, प्लॉट नं. बी–12, केसर गार्डन के सामने, हिंडन विहार, बरौला, नोएडा, उत्तर प्रदेश, पिन कोड–201301	9,10,627/-	06.12.2019
12	यूपी0210610002189 कु. आरती लूथरा	शुभकामना अपार्टमेन्ट, अपर ग्राउंड, खसरा नं. 237, सेक्टर–104, लोट

DETAILED PUBLIC STATEMENT IN TERMS OF REGULATIONS 3(1), 4, 5(1), READ WITH 13(4), 14(3) AND 15(2) AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS (AS DEFINED BELOW) OF

ACCELYA SOLUTIONS INDIA LIMITED

HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT ACCELYA ENCLAVE, 685/2B & 2C, 1ST FLOOR, SHARADA ARCADE, SATARA ROAD, PUNE – 411 037.
TEL: +91 20 6608 3777 AND FAX: +91 20 2423 1639. WEBSITE: https://www.accelya.com/

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 3,782,966 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF INR 10 EACH ("OFFER SHARES"), REPRESENTING 25.34% OF THE VOTING SHARE CAPITAL (AS DEFINED BELOW) OF ACCELYA SOLUTIONS INDIA LIMITED ("TARGET COMPANY") FROM ALL THE PUBLIC SHAREHOLDERS (AS DEFINED BELOW) OF THE TARGET COMPANY BY AURORA UK BIDCO LIMITED ("ACQUIRER") TOGETHER WITH VISTA EQUITY PARTNERS PERENNIAL, L.P. ("PAC 1"), VISTA EQUITY PARTNERS PERENNIAL A, L.P. ("PAC 2") AND ACCELYA TOPCO LIMITED ("PAC 3"), (COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE "PACS"), IN THEIR CAPACITY AS THE PERSONS ACTING IN CONCERT WITH THE ACQUIRER ("OPEN OFFER" OR "OFFER").

This detailed public statement ("**DPS**") is being issued by JM Financial Limited, the manager to the Open Offer (the "**Manager to the Offer**"), for and on behalf of the Acquirer and the PACs, in compliance with Regulations 3(1), 4, 5(1) read with 13(4), 14(3) and 15(2) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("**SEBI (SAST) Regulations**"), pursuant to the public announcement dated November 19, 2019 ("**PA**") issued in terms of Regulation 3(1), 4 and 5 (1) of SEBI (SAST) Regulations and submitted to the BSE Limited ("**BSE**") and National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**") on November 19, 2019 in accordance with Regulation 14 (1) of the SEBI (SAST) Regulations and was sent to the registered office of the Target Company on November 20, 2019 and was filed with the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") on November 20, 2019. Further a corrigendum to the PA was issued by the Manager on behalf of the Acquirer and the PACs on November 22, 2019 and its copy was filed on November 22, 2019 with the Stock Exchanges and sent to the Target Company at its registered office and to SEBI in accordance with SEBI (SAST) Regulations.

For the purposes of this DPS, the following terms would have the meaning assigned to them herein below:

"**EPS**" shall mean earnings per share.

"**Equity Shares**" shall mean fully paid up equity shares of face value of INR 10 each of Target Company.

"**Public Shareholders**" shall mean all the shareholders of the Target Company who are eligible to tender their shares in the Open Offer, excluding: (i) the promoters, members of the promoter group of the Target Company; (ii) the Acquirer and the PACs; (iii) parties to the SPA (defined below); and (iv) persons deemed to be acting in concert with such parties.

"**SEBI Act**" shall mean Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and subsequent amendments thereto.

"**Tendering Period**" has the meaning ascribed to it under the SEBI (SAST) Regulations.

"**Voting Share Capital**" shall mean the total voting equity share capital of the Target Company as on the 10th working day from the closure of the tendering period for the Offer (such Voting Share Capital excludes 1,100 equity shares of the Target Company which were forfeited).

"**Working Day**" means any working day of SEBI.

I. ACQUIRER, PACS, TARGET COMPANY AND OPEN OFFER

1. Details of Aurora UK Bidco Limited ("Acquirer")

i. The Acquirer is a private limited company. It was incorporated on November 12, 2019 as Aurora UK Bidco Limited under the laws of Jersey. Its registered office is located at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8PX. There has been no change in the name of Acquirer since its incorporation.

ii. The issued and paid up share capital of the Acquirer amounts to USD 100 and consists of 100 ordinary fully paid up equity share of USD 1.00 each. Aurora UK Midco 2 Limited holds 100% of the issued share capital of the Acquirer and is indirectly controlled by the PAC 1 and PAC 2.

iii. Acquirer is a part of Vista Equity Partners Group.

iv. The Acquirer is an investment holding company. The Acquirer has not made any previous investments.

v. The shares of the Acquirer are not listed on any stock exchange in India or abroad.

vi. Pursuant to the completion of the Underlying Transaction (as defined below), Accelya Holding World S.L.U., a wholly owned indirect subsidiary of the Acquirer and PAC 3, holds 11,143,295 equity shares in the Target Company constituting 74.66% of the Voting Share Capital. The Acquirer has not directly acquired any Equity Shares of the Target Company between the date of the PA i.e. November 19, 2019 and the date of this DPS.

vii. Other than as mentioned in paragraph 1(vi), as of the date of this DPS, Acquirer and the directors and key employees of the Acquirer do not have any relationship or interest in the Target Company. There are no directors on the board of the Target Company representing the Acquirer.

viii. The Acquirer has not been prohibited by SEBI from dealing in securities pursuant to the terms of any directions issued under Section 11B of the SEBI Act or under any other regulations made under the SEBI Act.

ix. Acquirer was incorporated on November 12, 2019 and this being its first year of operations, no financial statements of Acquirer are available as on date.

2. Details of Vista Equity Partners Perennial, L.P. ("PAC 1")

i. PAC 1 is an exempted limited partnership which was registered on October 30, 2017 as Vista Equity Partners Perennial, L.P. under the laws of Cayman Islands. Its registered office is located at C/O Maples and Calder, PO Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, KY1-1104. There has been no change in the name of PAC 1 since its incorporation.

ii. PAC 1 is controlled by its general partner VEPP GP, L.P., which is controlled by its general partner, VEPP UGP, Ltd.

iii. PAC 1 along with PAC 2 jointly and indirectly controls Aurora UK Midco 2 Limited, which holds 100% of the issued share capital of the Acquirer.

iv. PAC 1 is in the business of investment holding and related activities with USD 642.70 million (INR 45,773.99 million) of commitments as at September 30, 2019. PAC 1 has been established to invest in enterprise software, data, and technology-enabled organizations and forms part of Vista Equity Partners' permanent capital strategy. PAC 1's portfolio currently consists only of the Accelya group. PAC 1 is a part of the Vista Equity Partners Group.

v. The shares of PAC 1 are not listed on any stock exchange in India or abroad.

vi. Pursuant to the completion of the Underlying Transaction (as defined below), Accelya Holding World S.L.U., a wholly owned indirect subsidiary of the Acquirer and PAC 3 which is jointly controlled by PAC 1 and PAC 2, holds 11,143,295 equity shares in the Target Company constituting 74.66% of the Voting Share Capital. PAC 1 has not directly acquired any Equity Shares of the Target Company between the date of the PA i.e. November 19, 2019 and the date of this DPS.

vii. Neither PAC 1, nor its general partner or key employees, have any relationship or interest in the Target Company except for the Underlying Transaction. Further, since PAC 1 is an exempted limited partnership, PAC 1 does not have any directors. Hence, there are no common directors on the board of PAC 1 and the Target Company.

viii. PAC 1 has not been prohibited by SEBI from dealing in securities pursuant to the terms of any directions issued under Section 11B of the SEBI Act or under any other regulations made under the SEBI Act.

ix. PAC 1 was registered on October 30, 2017 and its operations commenced on November 21, 2018. The key financial information of PAC 1 as at and for the period ended December 31, 2018 extracted from the audited financial statements for the respective period/ financial year, and for the period from January 1, 2019 to October 31, 2019 which have been certified by the statutory auditors, are as follows:

In millions (except per share data)

Particulars	For the period from January 1, 2019 to October 31, 2019		For the period from November 21, 2018 to December 31, 2018	
	USD	INR	USD	INR
Total Income	-	-	-	-
Net Income / (Loss)	(1.28)	(91.20)	(1.82)	(129.54)
EPS	NA	NA	NA	NA
Total Partners' Capital / (Deficit)	(3.10)	(220.74)	(1.82)	(129.54)

3. Details of Vista Equity Partners Perennial A, L.P. ("PAC 2")

i. PAC 2 is an exempted limited partnership. It was registered on February 15, 2018 as Vista Equity Partners Perennial A, L.P. under the laws of Cayman Islands. Its registered office is located at C/O Maples and Calder, PO Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, KY1-1104. There has been no change in the name of PAC 2 since its incorporation.

ii. PAC 2 is controlled by its general partner VEPP GP, L.P., which is controlled by its general partner, VEPP UGP, Ltd.

iii. PAC 2 along with PAC 1 jointly and indirectly controls Aurora UK Midco 2 Limited, which holds 100% of the issued share capital of the Acquirer.

iv. PAC 2 is in the business of investment holding and related activities with USD 897.96 million (INR 63,953.26 million) of commitments as at September 30, 2019. PAC 2 has been established to invest in enterprise software, data, and technology-enabled organizations and forms part of Vista Equity Partners' permanent capital strategy. PAC 2's portfolio currently consists only of the Accelya group. PAC 2 is a part of the Vista Equity Partners Group.

v. The shares of PAC 2 are not listed on any stock exchange in India or abroad.

vi. Pursuant to the completion of the Underlying Transaction (as defined below), Accelya Holding World S.L.U., a wholly owned indirect subsidiary of the Acquirer and PAC 3 which is jointly controlled by PAC 1 and PAC 2, holds 11,143,295 equity shares in the Target Company constituting 74.66% of the Voting Share Capital. PAC 2 has not directly acquired any Equity Shares of the Target Company between the date of the PA i.e. November 19, 2019 and the date of this DPS.

vii. Neither PAC 2, nor its general partner or key employees, have any relationship or interest in the Target Company except for the Underlying Transaction. Further, since PAC 2 is an exempted limited partnership, PAC 2 does not have any directors. Hence, there are no common directors on the board of PAC 2 and the Target Company.

viii. PAC 2 has not been prohibited by SEBI from dealing in securities pursuant to the terms of any directions issued under Section 11B of the SEBI Act or under any other regulations made under the SEBI Act.

ix. PAC 2 was registered on February 15, 2018 and its operations commenced on November 21, 2018. The key financial information of PAC 2 as at and for the period ended December 31, 2018 extracted from the audited financial statements for the respective period/ financial year, and for the period from January 1, 2019 to October 31, 2019 which have been certified by the statutory auditors, are as follows:

In millions (except per share data)

Particulars	For the period from January 1, 2019 to October 31, 2019		For the period from November 21, 2018 to December 31, 2018	
	USD	INR	USD	INR
Total Income	-	-	-	-
Net Income / (Loss)	(2.03)	(144.27)	(2.26)	(161.14)
EPS	NA	NA	NA	NA
Total Partners' Capital / (Deficit)	(4.29)	(305.41)	(2.26)	(161.14)

4. Details of Accelya Topco Limited ("PAC 3")

i. PAC 3 is a private limited company. It was incorporated on March 19, 2014 as Canary Topco Limited under the laws of England and Wales. Its registered office is located at Acre House, 11/15 William Road, London, United Kingdom, NW1 3ER. On April 11, 2019, PAC 3 changed its name from Canary Topco Limited to Accelya Topco Limited.

ii. The issued and paid up share capital of PAC 3 consists of 1,012,999 A1 Ordinary Shares of US$0.001 each, 1,814,968,031 A2 Ordinary Shares of US$0.000001 each, 184,513,774 A3 Ordinary Shares of US$0.000001 each, 172,368 B1-I Ordinary Shares of US$0.001 each, 205,292,702 B1-II Ordinary Shares of US$0.000001 each, 25,000 B2 Ordinary Shares of US$1.00 each, 205,297 C Shares of US$0.000001 each and 221,564,378 Preference Shares of US$0.001 each. The Acquirer holds 100% of the issued share capital of PAC 3, and Aurora UK Midco 2 Limited holds 100% of the issued share capital of the Acquirer and is indirectly controlled by PAC 1 and PAC 2. PAC 3 is part of the Vista Equity Partners Group.

iii. PAC 3 is an investment holding company. Aside from its holding of the Accelya group companies which are a provider of technology products and services to the travel and transport industry and which also includes holding of Accelya World Holding S.L.U., the promoter of the Target Company, PAC 3 has not made any previous investments. Prior to its acquisition by the Acquirer on December 24, 2019, PAC 3 was the holding company of the Accelya group.

iv. The shares of PAC 3 are not listed on any stock exchange in India or abroad.

v. Pursuant to the completion of the Underlying Transaction (as defined below), all of the issued share capital of PAC 3 was directly acquired by the Acquirer. Prior to completion of the Underlying Transaction, Accelya Holding World S.L.U. was a wholly owned indirect subsidiary of PAC 3, and therefore became an indirect subsidiary of the Acquirer upon completion of the Underlying Transaction. As described above, Accelya Holding World S.L.U. holds 11,143,295 equity shares in the Target Company constituting 74.66% of the Voting Share Capital. PAC 3 has not directly acquired any Equity Shares of the Target Company between the date of the PA i.e. November 19, 2019 and the date of this DPS.

vi. Other than as mentioned in paragraph 4(v), as of the date of this DPS, PAC 3 and the directors and key employees of the PAC 3 do not have any relationship or interest in the Target Company.

vii. PAC 3 has not been prohibited by SEBI from dealing in securities pursuant to the terms of any directions issued under Section 11B of the SEBI Act or under any other regulations made under the SEBI Act.

viii. The key financial information of PAC 3 as at and for the periods ended June 30, 2019, June 30, 2018, June 30, 2017 and December 31, 2016, as extracted from the audited financial statements for the respective financial statements, are as follows:

In millions (except per share data)

Particulars	For the year ended from July 1, 2018 to June 30, 2019		For the year ended from July 1, 2017 to June 30, 2018		For the period ended from January 1, 2017 to June 30, 2017		For the year ended from January 1, 2016 to Dec. 31, 2016	
	USD	INR	USD	INR	USD	INR	USD	INR
Total Income	184.40	13,133.15	195.73	13,940.38	66.43	4,731.31	85.49	6,089.06
Net Income/(Loss)	(14.25)	(1,014.98)	(20.47)	(1,458.12)	(24.97)	(1,778.47)	(33.11)	(2,358.47)
EPS[1]	-	-	-	-	-	-	-	-
Net Worth	169.24	12,053.37	186.22	13,262.71	208.44	14,845.67	51.65	3,678.75

Note:

1. As the issued and paid up capital of PAC 3 consists of multiple class of equity shares as described in point 4(ii) above, the EPS has not been computed.

5. Details of the Seller

i. Not applicable as this Offer is being made as a result of an indirect acquisition shares, voting rights and control of the Target Company by the Acquirer pursuant to the SPA (defined below) as described in Part II (*Background to the Offer*) and not as a result of any direct acquisition of Equity Shares, voting rights, or control of the Target Company.

6. Details of Accelya Solutions India Limited ("Target Company")

i. Accelya Solutions India Limited is a public limited company incorporated as Kale Consultants Private Limited on September 25, 1986. The Target Company became a public limited company with effect from October 29, 1997, and consequently, was named Kale Consultants Limited . Pursuant to a fresh certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies dated July 23, 2012, its name was changed to Accelya Kale Solutions Limited. Subsequently, its name was changed to its present name Accelya Solutions India Limited pursuant to a fresh certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies dated May 20, 2019.

ii. The registered office of the Target Company is located at Accelya Enclave, 685/2B & 2C, 1st Floor, Sharada Arcade, Satara Road, Pune – 411 037. Tel: +91 20 6608 3777 and Fax: +91 20 2423 1639 and its corporate identity number is L74140PN1986PLC041033.

iii. The Target Company is a leading technology solutions provider to the airline and travel industry and helps airline customers integrate and simplify their financial processes to manage costs, risks, revenue leakages, cash flows, profitability and overall business performance.

iv. The Target Company is controlled by Accelya Holding World S.L.U., a wholly owned indirect subsidiary of the Acquirer and PAC 3, which holds 11,143,295 Equity Shares in the Target Company constituting 74.66% of the total issued, paid-up share capital of the Target Company.

v. The Equity Shares are listed on the BSE (Security ID: ACCELYA Security Code: 532268) and the NSE (Symbol: ACCELYA). The ISIN of Equity Shares of the Target Company is INE793A01012.

vi. The Equity Shares are not frequently traded within the meaning of explanation provided in Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations.

vii. As on the date of this DPS, the authorized capital of the Target Company is INR 202,000,000 comprising of 20,200,000 Equity Shares of face value of INR 10. As on the date of this DPS, the issued, subscribed and fully paid-up fully diluted equity share capital of the Target Company is INR 149,262,610 comprising 14,926,261 Equity Shares of INR 10.

viii. The Target Company does not have partly paid-up Equity Shares and (including warrants, fully convertible securities, partly convertible securities and employee stock options).

ix. Summary of the consolidated unaudited limited review financial information as at and for the three month period ending September 30, 2018 and consolidated audited financial statements for the financial year ended June 30, 2019, June 30, 2018, and June 30, 2017 is provided below. In this regard, please note that the key financial information of the Target Company as at and for the financial years ended June 30, 2019 and June 30, 2018 have been extracted from the respective audited consolidated financial statements for the said financial years and as at and for the financial year ended June 30, 2017 has been extracted from the comparative financial information in the audited consolidated financial statements as at and for the financial year ended June 30, 2018. The key financial information of the Target Company as at and for the three months period ended September 30, 2019 has been extracted from financial statements for the said period which have been subjected to limited review, are as follows:

(INR in Million, unless otherwise stated)

Particulars	Three months ended September 30, 2019 (Consolidated) (Limited Review)	Financial year ended June 30, 2019 (Consolidated) (Audited)	Financial year ended June 30, 2018 (Consolidated) (Audited)	Financial year ended June 30, 2017 (Consolidated) (Audited)
Total Revenue	1,225.15	4,419.90	3,859.24	3,877.07
Net Income	325.58	1,063.78	891.79	972.47
EPS (in INR)	21.81	71.27	59.75	65.15
Net Worth	-	1,975.61	1,795.90	1,809.84

7. Details of the Open Offer

i. This Offer is made in accordance with provisions of Regulations 3(1), 4, and 5(1) of the SEBI (SAST) Regulations. This Offer is triggered pursuant to an indirect acquisition of the Equity Shares, voting rights and control of the Target Company by the Acquirer. The thresholds specified under Regulation 5(2) of the SEBI (SAST) Regulations are not met.

ii. This Offer is pursuant to a global acquisition resulting in an indirect acquisition of the Equity Shares of the Target Company under Regulation 5(1) of the SEBI (SAST) Regulations (Further details are provided in Part II below (*Background to the Offer*)).

iii. The Acquirer and the PACs are making this Open Offer to all Public Shareholders to acquire up to 37,82,966 Equity Shares ("**Offer Shares**"), constituting 25.34% of the Voting Share Capital of the Target Company.

iv. This Offer is being made at a price of INR 956.09 ("**Offer Price**") per Equity Share which includes a price of INR 944.19 and an enhancement of INR 11.90 per Equity Share i.e. 10% per annum for the period between November 15, 2019 being the date of the SPA and the date of this DPS, in accordance with Regulation 8(12) of the SEBI (SAST) Regulations. Assuming full acceptance of the Offer, the aggregate consideration payable to the Public Shareholders in accordance with the SEBI (SAST) Regulations will be up to INR 3,616,855,963.

v. This is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations.

vi. This Offer is not conditional upon any minimum level of acceptance pursuant to the terms of Regulation 19 of the SEBI (SAST) Regulations.

vii. The Offer Price will be payable in cash by the Acquirer and the PACs, in accordance with the provisions of Regulation 9(1)(a) of the SEBI (SAST) Regulations.

viii. As of the date of this DPS, there are no (i) partly paid-up Equity Shares; and (ii) outstanding convertible instruments (including warrants, fully convertible securities, partly convertible securities and employee stock options) issued by the Target Company.

ix. All the Equity Shares validly tendered by the Public Shareholders in this Offer will be acquired by the Acquirer in accordance with the terms and conditions set forth in this DPS and the terms and conditions which will be set out in the letter of offer to be sent to all public shareholders in relation to this Offer ("**Letter of Offer**"), the relevant provisions of the SEBI (SAST) Regulations, and applicable law.

x. To the best of the knowledge of the Acquirer and the PACs, there are no statutory or other approvals required to complete the acquisition of the Offer Shares that are validly tendered pursuant to the Open Offer or to complete this Open Offer other than as indicated in Part VI (*Statutory and Other Approvals*) below. However, in case any statutory approvals are required by the Acquirer and the PACs at a later date before the closure of the tendering period, this Open Offer shall be subject to such further approvals being obtained.

xi. Where any statutory or other approval extends to some but not all of the Public Shareholders, the Acquirer shall have the option to make payment to such Public Shareholders in respect of whom no statutory or other approvals are required in order to complete this Open Offer.

xii. In terms of Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations, in the event that the approvals if any (whether in relation to the acquisition of Equity Shares constituting the Offer Shares) specified in this DPS as set out in Part VI (*Statutory and Other Approvals*) below or those which become applicable prior to completion of the Open Offer are not received, for reasons outside the reasonable control of the Acquirer, then the Acquirer and the PACs shall have the right to withdraw the Open Offer. In the event of such a withdrawal of the Open Offer, the Acquirer and the PACs (through the Managers) shall, within 2 Working Days of such withdrawal, make an announcement of such withdrawal stating the grounds for the withdrawal in accordance with Regulation 23(2) of the SEBI (SAST) Regulations.

xiii. The Offer Shares will be acquired by the Acquirer fully paid-up, free from all liens, charges and encumbrances and together with the rights attached thereto, including all rights to dividend, bonus and rights offer declared thereof, and the tendering Public Shareholder shall have obtained all necessary consents for it to sell the Equity Shares on the foregoing basis.

xiv. Non-resident Indian ("**NRI**") and erstwhile overseas corporate body ("**OCB**") Public Shareholders, if any, must obtain all requisite approvals required to tender the Equity Shares held by them in this Offer (including, without limitation, the approval from the RBI, since the Equity Shares validly tendered in this Offer will be acquired by a non-resident entity), and submit such approvals along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement and other documents required to accept this Offer. Further, if the Public Shareholders, who are not persons resident in India (including NRIs, OCBs, erstwhile Foreign Institutional Investors ("**FIIs**") and Foreign Portfolio Investors ("**FPIs**")) had required any approvals (including from the RBI or the Foreign Investment Promotion Board/the Foreign Investment Facilitation Portal or any other regulatory body) at the time of the original investment in respect of the Equity Shares held by them currently, they will be required to submit copies of such previous approvals along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. If such approvals are not submitted, the Acquirer and the PACs reserve the right to reject such Equity Shares tendered in this Offer.

xv. In terms of Regulation 25(2) of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirer and the PACs have no intention to restructure or alienate, whether by way of sale, lease, encumbrance or otherwise, any material assets of the Target Company or any of its subsidiaries during the period of 2 years from the completion of the Open Offer except in the ordinary course of business; or as provided in the PA, this DPS or the Letter of Offer.

xvi. Other than as set out in paragraph (xv) above, if the Acquirer and the PACs intend to restructure or alienate any material assets of the Target Company or its subsidiaries (including on account of regulatory approvals or conditions, or compliance with any law that is binding on or applicable to the operations of the Target Company), within a period of 2 years from completion of the Open Offer, the Target Company shall seek the approval of its shareholders as required under the proviso to Regulation 25(2) of the SEBI (SAST) Regulations.

xvii. After the acquisition of the Offer Shares (assuming full acceptance of the Offer), the public shareholding in the Target Company may fall below the minimum level required for continued listing under Regulation 38 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Rule 19A of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957. In the event the public shareholding in the Target Company falls below 25% of the voting share capital pursuant to this Offer, the Acquirer and/or PACs and/or Accelya Holding World (defined below) shall bring down the non-public shareholding in the Target Company to the level specified within the time prescribed in the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, SEBI (SAST) Regulations and as per applicable SEBI guidelines.

xviii. The Equity Shares under statutory lock-in, if any, can be transferred to the Acquirer under the Offer, subject to continuation of the residual statutory lock-in period in the hands of the Acquirer.

xix. The Manager does not hold any Equity Shares as on the date of this DPS. The Manager further declares and undertakes not to deal on their account in the Equity Shares during the offer period.

II. BACKGROUND TO THE OPEN OFFER

1. The Acquirer has entered into a share purchase agreement with dnata, Warburg Pincus Private Equity XI LP, Warburg Pincus Private Equity XI-B LP, Estera Trust (Jersey) Limited and certain other institutional shareholders of PAC 3 and individuals (together, "**Sellers**"), dated November 15, 2019 ("**SPA**"), whereby the Acquirer has agreed to acquire in cash 100% of the issued share capital of PAC 3 comprising 1,012,999 A1 Ordinary Shares of US$0.001 each, 1,814,968,031 A2 Ordinary Shares of US$0.000001 each, 184,513,774 A3 Ordinary Shares of US$0.000001 each, 172,368 B1-I Ordinary Shares of US$0.001 each, 205,292,702 B1-II Ordinary Shares of US$0.000001 each, 25,000 B2 Ordinary Shares of US$1.00 each, 205,297 C Shares of US$0.000001 each and 221,564,378 Preference Shares of US$0.001 each ("**Underlying Transaction**").

2. PAC 3 holds 100% of the issued share capital of Accelya Holdco Limited which in turn holds 100% of the issued share capital of Accelya Finco Limited. Accelya Finco Limited holds 100% of the issued share capital of Accelya Midco Limited which in turn holds 100% of the issued share capital of Accelya Bidco Limited. Accelya Bidco Limited holds 100% of the issued share capital of Accelya Holding World S.L.U. ("**Accelya Holding World**") which in turn holds 1,11,43,295 equity shares in the Target Company constituting 74.66% of the total issued, paid-up voting share capital of the Target Company.

3. Therefore, as a result of the Underlying Transaction, the Acquirer has indirectly acquired the majority of the voting rights in and control over the Target Company. The Open Offer is being made to the Public Shareholders of the Target Company in accordance with Regulations 3(1), 4 and 5(1) of the SEBI (SAST) Regulations. The thresholds specified under Regulation 5(2) of the SEBI (SAST) Regulations are not met.

4. Under the SPA, the purchase price for the Underlying Transaction has been paid by the Acquirer in cash, with no deferred element, and the Acquirer has acquired 100% of the issued share capital of PAC 3. The Underlying Transaction completed on December 24, 2019.

5. The Acquirer and the PACs do not have any definite plans with respect to the Target Company as on the date of this DPS. The Acquirer and the PACs are a part of Vista Equity Partners Group, which with their operational expertise and financial strength, intend to position the Target Company for future growth and creation of value for its stakeholders.

III. SHAREHOLDING AND ACQUISITION DETAILS

1. The current and proposed shareholding of the Acquirer and the PACs in the Target Company and the details of the acquisition are as follows:

Particulars	Acquirer		PAC 1		PAC 2		PAC 3	
	No of shares	%age	No of shares	%age	No of shares	%age	No of shares	%age
Shares as on PA date	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Shares acquired between PA and DPS	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Shareholding as on DPS date	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Post offer shareholding (Assuming full acceptance on a fully diluted basis, as on 10th Working Day after closing of tendering period)	37,82,966	25.34%	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

Note: Pursuant to the Underlying Transaction, Accelya Holding World, a wholly owned indirect subsidiary of the Acquirer and PAC 3, which is jointly controlled by PAC 1 and PAC 2 holds 11,143,295 equity shares in the Target Company constituting 74.66% of the Voting Share Capital.

2. None of the Acquirer, PACs, and members of the respective board of directors of the Acquirer or the PACs hold any Equity Shares of the Target Company.

IV. OFFER PRICE

1. The Equity Shares of the Target Company are listed on the BSE and the NSE.

2. The traded turnover in the Equity Shares of the Target Company on BSE and NSE during the period November 1, 2018 to October 31, 2019 ("**Twelve Month Period**"), viz. twelve calendar months preceding the calendar month in which the PA is made, is given below:

Stock Exchange	Traded turnover of Equity Shares of the Target Company during the Twelve Month Period ("A")	Total number of Equity Shares of the Target Company during the Twelve Month Period ("B")	Traded turnover as % of total number of Equity Shares of the Target Company (A/B)
BSE	192,305	14,926,261	1.29%
NSE	1,356,287	14,926,261	9.09%

Source: Based on the Certificate dated November 19, 2019 issued by MZSK & Associates, Chartered Accountants.

3. Based on the above information, the Equity Shares of the Target Company are not frequently traded in terms of Regulation 2(1) (j) of the SEBI (SAST) Regulations.

4. This is an indirect acquisition of Target Company in terms of Regulations 5(1) of the SEBI (SAST) Regulations, and such indirect acquisition does not fall within the parameters prescribed under Regulation 5(2) of the SEBI (SAST) Regulations.

5. The Offer Price of INR 956.09 per Equity Share of the Target Company is justified in terms of Regulation 8(3) and 8(4) read with Regulation 8(5) and 8(12) of the SEBI (SAST) Regulations in view of the following:

S. No.	Particulars	Price (INR per Equity Share)
A	The highest negotiated price per share of the Target Company under the agreement for any acquisition attracting the obligation to make a PA of this Offer	Not Applicable
B	The volume-weighted average price paid or payable for any acquisition by the Acquirer or PACs during the fifty-two weeks immediately preceding the earlier of, the date on which the primary acquisition is contracted, and the date on which the intention or the decision to make the primary acquisition is announced in the public domain	Not Applicable
C	The highest price paid or payable for any acquisition, whether by the Acquirer or the PACs, during the twenty-six weeks immediately preceding the earlier of, the date on which the primary acquisition is contracted, and the date on which the intention or the decision to make the primary acquisition is announced in the public domain	Not Applicable
D	the highest price paid or payable for any acquisition, whether by the Acquirer or by the PACs between the earlier of, the date on which the primary acquisition is contracted, and the date on which the intention or the decision to make the primary acquisition is announced in the public domain, and the date of the PA of this Offer	Not Applicable
E	The volume-weighted average market price of the shares for a period of sixty trading days immediately preceding the earlier of, the date on which the primary acquisition is contracted, and the date on which the intention or the decision to make the primary acquisition is announced in the public domain, as traded on the NSE being the stock exchange where the maximum volume of trading in the shares of the Target Company are recorded during such period, provided such shares are frequently traded	Not Applicable [1]
F	The per equity share value computed under Regulation 8(5), if applicable	900.18 [2][3]
G	Price of shares of the Target Company determined by the Acquirer and the Manager to Offer taking into account valuation parameters including, book value, comparable trading multiples and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies	944.19 [4]
H	Price at (G) above including interest in terms of Regulation 8(12) of the SEBI (SAST) Regulations	956.09 [5]

Notes:

1. Not applicable as the Equity Shares of the Target Company are listed on BSE and NSE, and are not frequently traded in terms of Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations as per certificate dated November 19, 2019 from MSKA & Associates, Chartered Accountants.

2. In terms of Regulation 8(5) of the SEBI (SAST) Regulations, an indirect acquisition where: (a) the proportionate net asset value of the target company, as a percentage of the consolidated net asset value of the entity or business being acquired; (b) the proportionate sales turnover of the target company, as a percentage of the consolidated sales turnover of the entity or business being acquired; or (c) the proportionate market capitalization of the target company, as a percentage of the enterprise value for the entity or business being acquired, is in excess of 15%, on the basis of the most recent audited annual financial statements, the acquirer is required to compute and disclose the per equity share value of the target company. As per certificate dated November 19, 2019 from MSKA & Associates, Chartered Accountants, the proportionate sales turnover of the Target Company as a percentage of the consolidated sales turnover of the entity being acquired (i.e. Accelya Topco Limited), is in excess of 15%.

3. The Acquirer has taken into account a per share price of INR 900.18 for the acquisition of the Target Company for the Underlying Transaction. This has been arrived at on the basis of the volume-weighted average market price of the equity shares of the Target Company for a period of 60 trading days immediately preceding November 15, 2019, i.e., the date when the Acquirer made a formal bid to acquire Aurora Topco Limited.

4. The price of INR 944.19 per Equity Share is the higher of (i) the price per Equity Share of INR 944.19 as per the report dated November 19, 2019 issued by MSKA & Associates, Chartered Accountants, and (ii) the price per Equity Share of INR 939.07 as per the report dated November 19, 2019 issued by Bansi S. Mehta & Co., Chartered Accountants. An overview of the methodologies used as per the respective reports is summarized below:

MSKA & Associates, Chartered Accountants

MSKA & Associates, Chartered Accountants (Address: Floor 3, Enterprise Centre, Nehru Road, Near Domestic Airport Vile Parle (E), Mumbai – 400 099, India; Tel.: +91 22 3332 1600; Fax: +91 22 2439 3700; and firm registration number: 105047W), in its valuation report dated November 19, 2019, has arrived at the fair value of Equity Shares of INR 944.19 per share based on the market price method and the comparable companies multiple method.

The market price of the Target Company has been calculated based on Volume Weighted Average Market Price ("**VWAMP**") of the equity shares of the Target Company for a period of 60 trading days upto the Valuation Date i.e. November 15, 2019.

Under the comparable companies multiple method, the average Price to Earnings (PE) multiple has been arrived at by considering the 60 trading days VWAMP of the comparable companies and the normalized profitability of the comparable companies based on the trailing twelve month (TTM) financials. This average PE multiple has been applied to the TTM normalized profit after tax of the Target Company to arrive at the equity value of the Target Company, which is then divided by the equity shares outstanding to compute the equity value per share of the Target Company.

MSKA & Associates has applied equal weights to the methods to arrive at the equity value per share of the Target Company. More specifically, the value calculated under the market price method is assigned a weight of 1 (one) and the value calculated under the comparable companies multiple is assigned a weight of 1 (one).

Bansi S. Mehta & Co., Chartered Accountants

Bansi S. Mehta & Co., Chartered Accountants (Address: Metro House, 3rd Floor, M. G. Road, Dhobi Talao, Mumbai 400 020, Maharashtra, India; Tel.: 91-22-22014922; Fax: 91-22-22050147; and Firm Registration Number: 100991W), in its valuation report dated November 19, 2019, have arrived at the fair value of Equity Shares of Rs. 939.07 based on the (i) Market Price Method, (ii) Comparable Companies Multiple Method (based on Enterprise Value ("EV") to Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization ("EBIDTA") multiple ("EV/EBITDA Multiple") method and Price to Earnings ("P/E") multiple method), (iii) Income Approach based on Capitalization of Profit After Tax ("PAT") Method.

The market price of equity shares of the Target Company has been based on the volume weighted average market price on NSE over a period of sixty trading days up to November 15, 2019 (Valuation Date).

Under the Comparable Companies Multiple Approach, Bansi S. Mehta & Co. has used the EV/EBITDA multiple method and P/E Multiple Method to derive the fair value of the Target Company. Bansi S. Mehta & Co. has considered EBITDA, PAT, EV and adjusted market capitalization of comparable companies. The above parameters have been used to arrive at average EV/EBITDA and P/E multiple for

continued on next page...

www.readwhere.com

जद (एकी) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने कहा

पार्टी को विधानसभा चुनाव में अधिक सीटों पर लड़ना चाहिए

पटना, 30 दिसंबर (भाषा)।

संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर भाजपा के खिलाफ लगातार आक्रोश जाहिर करने के बाद जनता दल (एकी) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार में राजग की वरिष्ठ साझेदार होने के नाते उनकी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के मुकाबले अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए।

दोनों दलों ने इस साल लोकसभा चुनाव में बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा था।

किशोर ने रविवार को यहां संवाददाताओं से कहा, 'मेरे अनुसार लोकसभा चुनाव का फार्मूला विधानसभा चुनाव में दोहराया नहीं जा सकता।' वहीं भाजपा ने किशोर के इस बयान पर निराशा जाहिर की है। पार्टी बिहार में अपना पलड़ा भारी रखने की जुगत में है और नीतीश कुमार से खुद को कम आंकने के लिए कहीं से भी तैयार नहीं है।

राज्य में भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा, 'भाजपा शिष्टाचार, अनुशासन बनाए रखने और ऐसे सार्वजनिक बयान नहीं देने में यकीन रखती है, जो सिर्फ खबरों के लिहाज से दिए जाएं। आनंद ने कहा '2020 के विधानसभा चुनावों के संबंध में राजग के सभी फैसले हमारे शीर्ष नेतृत्व के बीच होने वाली चर्चा के विषय हैं।' किशोर ने कहा कि जद (एकी) अपेक्षाकृत बड़ी पार्टी है, जिसके करीब 70 विधायक हैं जबकि भाजपा के पास करीब 50 विधायक हैं।

उन्होंने कहा, 'यही नहीं, विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार को राजग का चेहरा बनाकर लड़ा जाना है।' जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किशोर ने कहा, 'अगर हम 2010 के विधानसभा चुनाव को देखें जिसमें जद (एकी) और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो यह अनुपात 1:1.4 था। अगर इसमें इस बार मामूली बदलाव भी हो, तो भी यह नहीं हो सकता कि दोनों दल बराबर सीटों पर चुनाव लड़ें।''

चुनाव रणनीतिकार से राजनीतिक बने किशोर ने इन सुझावों को खारिज कर दिया कि पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार चुनाव के मद्देनजर भाजपा के प्रति कुछ लचीला रुख अपनाएंगे जैसा कि उन्होंने 2015 के विधानसभा चुनावों में लालू प्रसाद की राजद के लिए किया था।

कर्नाटक की एक इंच जमीन भी नहीं देंगे : येदियुरप्पा

बंगलुरु, 30 दिसंबर (भाषा)।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र के उनके समकक्ष उद्धव ठाकरे राजनीतिक लाभ के लिए बेलगाम सीमा मुद्दे को फिर से उठा रहे हैं और राज्य की एक इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी।

येदियुरप्पा ने कहा, 'यह महाजन रिपोर्ट में ही तय हो गया था कि महाराष्ट्र के पास क्या रहेगा और कर्नाटक के पास क्या रहेगा। राजनीतिक लाभ के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। एक भी इंच जमीन देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।' उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री मराठी और कन्नड़ भाषा बोलने वाले लोगों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। येदियुरप्पा ने कहा, 'हमारे लोगों को शांति और भाईचारा बनाए रखना चाहिए तथा कर्नाटक की एक इंच भी जमीन देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। किसी ने बयान दे दिया तो इसको लेकर संशय पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं।' बेलगाम पर महाराष्ट्र अपना दावा करता है जहां मराठीभाषी लोगों की खासी आबादी रहती है लेकिन यह जिला अभी कर्नाटक में आता है। रविवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से कर्नाटक जाने वाली बस सेवा भी निलंबित कर दी गई थी लेकिन अब उसे बहाल कर दिया गया है।

ठंड से बचने के लिए करें योगासन : स्वामी रामदेव

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून 30 दिसंबर।

योग गुरु स्वामी रामदेव ने ठंड से बचने के लिए कई उपाय बताएं हैं। ठंड में उच्च रक्तचाप और जोड़ों के दर्द वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्हें भ्रामरी, अनुलोम विलोम, प्राणायाम ,भस्त्रिका आसन तीव्र गति से करनी चाहिए। इससे शरीर में खून का दौरा बढ़ेगा और वे स्वस्थ रहेंगे। योग गुरु स्वामी रामदेव सोमवार को हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में पतंजलि की राष्ट्रीय कायर्कारिणी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में दूध में हल्दी और शिलाजीत डालकर पीना चाहिए। अर्जुन की छाल, अदरक सोंठ, दालचीनी और मेथी का पाउडर बनाकर दूध में सेवन करना चाहिए।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

वसूली विभाग मंडल कार्यालय – उत्तरी दिल्ली

तृतीय तल, राजेंद्र प्लेस नई दिल्ली –110008, फोन नं. 011-25744163, ईमेल: condelrd@pnb.co.in

आम जनता के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अधीन, प्राधिकृत अधिकारी ने प्रत्येक कर्जदार के विरुद्ध नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कर्जदारों / गारंटरीकर्ताओं / बंधककर्ताओं (इसके बाद कर्जदारों कहा जायेगा) से राशि की वूसली हेतु मांग सूचना जारी किया था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथ प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों जो कि नीचे दिए कजदारों को प्रदत्त ऋण / क्रेडिट सुविधाओं के संदर्भ में प्रतिभूतियों के रूप में धारित हैं, का कब्जा ले लिया है। जैसा कि, प्रतिभूति परिसम्पत्ति की बिक्री, मांग सूचना के अनुसार कर्जदार से पंजाब नैशनल बैंक को देय सुरिक्षत ऋणों + भविष्य का ब्याज, बैंक द्वारा उस पर उठायी गयी लागत एवं प्रभार उसके बाद वसूली, यदि कोई हो, को घटाकर की वसूली के लिए **सार्वजनिक ई–नीलामी** के माध्यम से की जानी है। सर्वसाधारण को व्यक्तिगत रूप से या उसके प्राधिकृत एजेन्ट के माध्यम से बोली करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। **बैंक सुयोग्य सम्पत्ति के लिए बोली करने के लिए स्वंतत्र होगा।**

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

कर्जदार एवं बैंक शाखा का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं उसमें वर्णित बकाया राशि	सम्पत्ति का विवरण – बंधककर्ता के नाम (सम्पत्ति के स्वामी) सहित	कब्जे की स्थिति (भौतिक या सांकेतिक)	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (ईएमडी) तथा ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	उस खाते का विवरण जिसमें ईएमडी आरटीजीएस / एनईएफटी एवं आईएफएससी कोड के माध्यम से जमा की जानी है	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	नीलामी की तिथि एवं समय / बोली वृद्धि	प्राधिकृत अधिकारी / नोडल अधिकारी का नाम एवं सम्पर्क नम्बर / बकाया सरकारी देय, यदि कोई हो
मैसर्स शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड (वर्तमान में परिसमापन के तहत) शाखाः एआरएमबी मयूर विहार फेज–।।, दिल्ली	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड 15.12.2017 रु. 225.80 करोड, पंजाब नेशनल बैंक 02.01.18 रु. 128.65 करोड भारतीय स्टेट बैंक 28.11.18 रु. 220.04 करोड़, एक्सिस बैंक लिमिटेड 15.11.2018 रु. 28.23 करोड़, विजया बैंक (वर्तमान में बीओबी) 04.12.2017 रु. 58.12 करोड़, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 08.01.19 रु. 70.13 करोड़, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 13.11.18 रु. 36.63 करोड़, सिंडिकेट बैंक 27.12.2017 रु. 35.45 करोड़, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 15.11.2018 रु. 47.82 करोड़, केनरा बैंक 30.01.2019 रु. 77.95 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया 20.01.2018 रु. 64.82 करोड़, आंध्रा बैंक 08.11.2018 रु. 74.12 करोड़	1. सम्पत्ति एमसीडी नं. 269, खसरा नं. 358 AALI इंडस्ट्रीयल कॉम्पलैक्स मथुरा रोड, दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 300 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री मुकेश कुमार गुप्ता के नाम पर है।	सांकेतिक	रु. 127.00 लाख / रु. 12.70 लाख / 11-02-2020	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 4408002100515419, A/c Name: "PNB ARMB Sarfaesi Recovery Account" IFSC code:- PUNB0440800	10.02.2020 अपाह्न 02.30 बजे से अपाह्न 04.30 बजे	13.02.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे / रु. 25,000/-	प्राधिकृत अधिकारीः श्री सीबानंदा भांजा, सहायक महाप्रबंधक मो. नं. 7044070801, शाखाः ए आर एम बी मयूर विहार दिल्ली, नोडल ऑफिसरः श्री आर के बंसल (मो. नं. 8289026427) उप सर्कल हेड पीएनबी, सर्कल ऑफिस, उत्तरी दिल्ली, तृतीय तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली
		2. सम्पत्ति एमसीडी नं. 268, खसरा नं. 358 AALI इंडस्ट्रीयल कॉम्पलैक्स मथुरा रोड, दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 324 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री विशाल गोयल के नाम पर है।	सांकेतिक	रु. 137.00 लाख / रु. 13.70 लाख / 11-02-2020		10.02.2020 अपाह्न 02.30 बजे से अपाह्न 04.30 बजे	13.02.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे / रु. 25,000/-	
		3. सम्पत्ति एमसीडी नं. 21, खसरा नं. 358 AALI इंडस्ट्रीयल कॉम्पलैक्स मथुरा रोड, दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 167 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री मुकेश कुमार गुप्ता के नाम पर है।	सांकेतिक	रु. 70.00 लाख / रु 7.00 लाख / 11-02-2020		10.02.2020 अपाह्न 02.30 बजे से अपाह्न 04.30 बजे	13.02.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे / रु. 25,000/-	ज्ञात नहीं

ई–नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें : बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। (1) सम्पत्तियों की बिक्री जैसे है जहां है आधार पर की जा रही है। (2) नीलामी बिक्री "ई–नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन" पोर्टल **https://etender.pnbnet.in** पर होगी। (3) इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त वर्णित प्रत्येक संपत्तियों के समक्ष अंकित नोडल आधिकारी से संपर्क करके एसएमएस / ई–मेल के माध्यम से अग्रिम तौर पर लॉग इन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा, जो कि ई–बिडिंग के लिए अनिवार्य है। (4) अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार करने अथवा स्वीकार्य न पाए जाने की स्थिति में सभी बोलियों को निरस्त करने अथवा किसी भी समय नीलामी को स्थगित / रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है तथा इस सम्बंध में उनका निर्णय अंतिम होगा। (5) नीलामी के अंतिम समय के अंतिम 5 मिनट में बोली लगाए जाने की स्थिति में अंतिम समय स्वतः ही 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा। (6) बोलीदाता को अपने पैन कार्ड तथा आवासीय पते के प्रमाण की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करनी होंगी। ऐसे बोलीदाता भी, जोकि व्यक्ति नहीं हैं, ई–बिडिंग हेतु उपयुक्त मैनडेट अपलोड करें। (7) सफल बोलीदाता को पहले जमा कराई गई धरोहर राशि सहित बोली राशि की 25% राशि तुरंत जमा करानी होगी। (8) सफल बोलीदाता को बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिन के भीतर बोली राशि की शेष 75% राशि जमा करानी होगी। (9) बोली राशि की 25% राशि तुरंत तथा निर्धारित अवधि के भीतर शेष 75% राशि जमा कराने में चूक की स्थिति में पहले जमा कराई गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्रतिभूत परिसम्पत्ति की पुनः बिक्री की जाएगी। (10) समस्त वैधानिक देयताएं / अटेंडेन्ट चार्जेज / अन्य देय राशि, रजिस्ट्रेशन चार्जेज, स्टाम्प ड्यूटी, कर आदि क्रेता को ही वहन करने होंगे। (11) यह प्रकाशन उपरोक्त कर्जदारों / गारंटरों / बंधककर्ताओं के लिए 30 दिन का नोटिस भी है। और अधिक विवरण तथा सम्पूर्ण नियमों व शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट्स देखें तथा / अथवा उपरोक्त प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकित नोडल अधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें : **https://etender.pnbnet.in ; www.pnbindia.in ; www.eprocure.gov.in/epublish/app.**

दिनांक : 30.12.2019, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी : पंजाब नैशनल बैंक

RELIANCE MONEY

रिलायंस कमर्शियल फायनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : रिलायन्स सेंटर, छठा तल, साउथ विंग, प्रभात कॉलोनी के निकट, शांताक्रुज (ईस्ट), मुम्बई-400055
शाखा कार्यालय : रिलायन्स कॉमर्सियल फाइनांस लिमिटेड, 1001, 2रा तल, फैज रोड, फेडरल बैंक के ऊपर, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

कब्जा सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(2) के अनुसार)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत रिलायन्स कॉमर्सियल फाइनांस लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/सह-ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/सह-ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित तिथियों को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रिलायन्स कॉमर्सियल फाइनांस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

क्रम सं.	ऋणधारक/सह-ऋणधारक का नाम	सम्पत्ति का विवरण	माँग सूचना तिथि	कब्जा की तिथि	माँग सूचना की राशि (रु.)
1.	1. श्री राज कालरा, 2. श्री राजिन्दर कुमार कालरा, 3. श्रीमती पूनम कालरा, 4. कालरा पेपर्स प्रा.लि. द्वारा उसके निदेशक श्री राज कालरा ऋण खाता सं.: RLHLDEL000067103	सम्पत्ति अर्थात शॉप नं. 24, 25, 26, 27 तथा 28 ऊपरी भू तल, टीडीआई मॉल, कुण्डली, सोनीपत, हरियाणा-131028 का सभी भाग तथा हिस्सा।	19.12.2018	27.12.2019	रु. 78,62,348/- (रुपये अठहत्तर लाख बासठ हजार तीन सौ अड़तालिस मात्र) 18.12.2018 को तथा उसके साथा 19.12.2018 से वसूलीत्तक आगे का ब्याज एंव चार्जेज आदि
2.	1. श्री राज कालरा, 2. श्री राजिन्दर कुमार कालरा, 3. श्रीमती पूनम कालरा, 4. कालरा पेपर्स प्रा.लि. द्वारा उसके निदेशक श्री राज कालरा ऋण खाता सं.: RLHLDEL000067140	सम्पत्ति अर्थात शॉप नं. 94, 95, 96, 97 तथा 100 भू तल, टीडीआई मॉल, कुण्डली, सोनीपत, हरियाणा-131028 का सभी भाग तथा हिस्सा।	19.12.2018	27.12.2019	रु. 11465420/- (रुपये एक करोड़ चौदह लाख पैंसठ हजार चार सौ बीस मात्र) 18.12.2018 को तथा उसके साथा 19.12.2018 से वसूलीत्तक आगे का ब्याज एंव चार्जेज आदि

ऋणधारक/सह-ऋणधारक, मार्टगैजर का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

स्थान : सोनीपत
तिथि : 28.12.2019

हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकृत)
रिलायन्स कॉमर्शियल फाइनांस लिमिटेड

...continued from previous page.

comparable companies. Bansi S. Mehta & Co. has relied on the data of EBITDA and PAT of the Target Company, as is emerging from the latest available financial results of the Target Company as on the Valuation Date.

Under the PAT Capitalization Method the Target Company's adjusted PAT has been capitalized considering assumptions for growth and the cost of equity to arrive at the business value.

Bansi S. Mehta & Co. has arrived at the fair value of equity shares of the Target Company by applying equal weights to the value derived under the Market Price Method, Comparable Companies Multiple Method and Capitalization of PAT Method.

5. In accordance with regulation 8(12) of the SEBI (SAST) Regulations, the offer price is required to be enhanced by an amount determined at the rate of 10% per annum for the period between, the earlier of the date on which the primary acquisition is contracted or the date on which the intention or the decision to make the primary acquisition is announced in the public domain (being November 15, 2019), and the date of the detailed public statement, provided such period is more than 5 working days. Accordingly, the price per Equity Share ascribed under (G) above, has been enhanced by INR 11.90 per Equity Share, at the rate of 10% per annum for the period between November 15, 2019 and the date of publication of this DPS i.e. December 31, 2019.

6. There have been no corporate actions by the Target Company warranting adjustment of the relevant price parameters under Regulation 8(9) of the SEBI (SAST) Regulations.

7. As on the date of this DPS, there is no revision in the Offer Price or size of the Open Offer. In case of any revision in the Offer Price or size of the Open Offer, the Acquirer and the PACs shall comply with applicable provisions of Regulation 18 of the SEBI (SAST) Regulations and any other provisions of the SEBI (SAST) Regulations which are required to be fulfilled for the said revision in the Offer Price or size of the Open Offer.

8. In terms of Regulations 18(4) and 18(5) of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirer is permitted to revise the Offer Price or the size of the Offer at any time prior to commencement of the last 1 Working Day before the commencement of the tendering period. In the event of such revision, the Acquirer and PACs shall (i) make corresponding increase to the escrow amount (ii) make public announcement in the same newspapers in which this DPS has been published; and (iii) simultaneously notify to BSE, NSE, SEBI and the Target Company at its registered office of such revision.

9. If the Acquirer or PACs acquire Equity Shares during the period of twenty-six weeks after the tendering period at a price higher than the Offer Price, then the Acquirer and PACs shall pay the difference between the highest acquisition price and the Offer Price, to all shareholders whose shares have been accepted in the Open Offer within sixty days from the date of such acquisition. However, no such difference shall be paid in the event that such acquisition is made under another open offer under the SEBI (SAST) Regulations, or pursuant to the SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, or open market purchases made in the ordinary course on the stock exchanges, not being negotiated acquisition of shares of the Target Company in any form.

V. FINANCIAL ARRANGEMENTS

1. The total consideration for the Open Offer, assuming full acceptance, i.e. for the acquisition of 37,82,966 Equity Shares, at the Offer Price of INR 956.09 per Equity Share is INR 3,616,855,963 ("**Offer Consideration**").

2. In accordance with Regulation 17 of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirer is required to create an escrow for an amount equal to 25% of the Offer Consideration, and, in the event of the escrow account being created is by way of a bank guarantee, then atleast 1% of the Offer Consideration should be deposited in cash with a scheduled commercial bank. Accordingly, the total escrow amount required to be created is INR 940.38 million.

3. In this regard, Citibank, N.A ("**Guarantor**"), acting through its office at 1st Floor, DLF Capitol Point, Baba Kharak Singh Marg, Connaught Place, New Delhi – 110001, India, has issued an unconditional, irrevocable and on demand bank guarantee dated December 24, 2019 for an amount of INR 904 million ("**Bank Guarantee**") on behalf of the Acquirer in favor of the Manager. The Bank Guarantee is valid up to June 30, 2020. The Manager to the Offer has been duly authorised to realize the value of the aforesaid Bank Guarantee in terms of the SEBI (SAST) Regulations. The Acquirer has undertaken to extend the validity of the Bank Guarantee, in accordance with the SEBI (SAST) Regulations, such that the Bank Guarantee shall be valid for at-least thirty days after completion of payment of consideration to shareholders who have validly tendered their shares in acceptance of the Open Offer. The bank issuing the Bank Guarantee is neither an associate company nor a group company of the Acquirer or the Target Company.

4. Furthermore, the Acquirer and the Manager inter alia have entered into an escrow agreement with Citibank, N.A ("**Escrow Agent**"), acting through its office at 11th Floor, First International Financial Centre, C-54 & 55, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra - East, Mumbai – 400 051, India, dated December 23, 2019 ("**Escrow Agreement**"). Pursuant to the Escrow Agreement, the Acquirer has established an escrow account under the name and style of "Accelya Solutions India Limited - Escrow Account 2019 Open Offer" ("**Escrow Account**"), and the Acquirer has made a cash deposit of INR 36.72 million ("**Cash Escrow**").The Manager has been duly authorized to operate the Escrow Account in terms of the SEBI (SAST) Regulations. The cash deposit has been confirmed by way of a confirmation letter dated December 24, 2019 issued by the Escrow Bank.

The Bank Guarantee and Cash Escrow total INR 940.72 million, which is in excess of the total escrow amount required to be created of INR 940.38 million.

5. The Acquirer has received commitment letters from PAC 1, pursuant to which PAC 1 has undertaken to provide the Acquirer with the necessary finances to meet the payment obligations under the Offer for an amount aggregating USD 52 million (INR 3,703.51 million). The financing arrangements of PAC 1 consist of uncalled capital commitments. PAC 1 has an uncalled committed capital of USD 642.70 million (INR 45,773.99 million) as of September 30, 2019. The Acquirer has also by way of letters dated November 19, 2019 and December 30, 2019 confirmed that, based on the aforementioned, it has sufficient means and capability for the purpose of fulfilling its obligations under the Offer and that firm financial resources/ arrangements through verifiable means are in place to fulfil the obligations under the Offer. After considering the aforementioned, Vishal Laheri & Associates, Chartered Accountants having their offices at Unit No. 1006, 10th Floor, Techno IT Park, Next to Eskay Resort, New Link Road, Borivali (West), Mumbai - 400 092. Tel: 80979 98000 (Mr Vishal R Laheri, Partner, Membership No. 115033), by way of certificates dated November 19, 2019 and December 30, 2019, have certified that the Acquirer has adequate financial resources for fulfilling its obligations under the Offer.

6. Based on the above, the Manager to the Offer is satisfied, (i) about the adequacy of resources to meet the financial requirements of the Offer and the ability of the Acquirers along with PAC to implement the Offer in accordance with the SEBI (SAST) Regulations, and (ii) that firm arrangements for payment through verifiable means are in place to fulfill the Offer obligations.

7. In case of any upward revision in the Offer Price or the size of the Open Offer, the corresponding increase to the escrow amounts as mentioned above shall be made by the Acquirer and/or PACs in terms of Regulation 17(2) of the SEBI (SAST) Regulations, prior to effecting such revision.

VI. STATUTORY AND OTHER APPROVALS

1. To the knowledge of the Acquirer and the PACs, there are no statutory or other approvals required to complete the Open Offer as on the date of this DPS, except as set out below. If, however, any statutory or other approval becomes applicable prior to completion of such acquisitions, the Open Offer would also be subject to such other statutory or other approval(s) being obtained.

2. In terms of Regulation 23(1) of the SEBI (SAST) Regulations, in the event that the approvals (in relation to the acquisition of Equity Shares constituting the Offer Shares) specified in this DPS as set out in Part VI (*Statutory and Other Approvals*) above or those which become applicable prior to completion of the Open Offer are not received, for reasons outside the reasonable control of the Acquirer, then the Acquirer and the PACs shall have the right to withdraw the Open Offer. In the event of such a withdrawal of the Open Offer, the Acquirer and the PACs (through the Managers) shall, within 2 Working Days of such withdrawal, make an announcement of such withdrawal stating the grounds for the withdrawal in accordance with Regulation 23(2) of the SEBI (SAST) Regulations.

3. If the holders of the Equity Shares who are not persons resident in India (including NRIs, OCBs and registered FPIs and FIIs require any approvals (including from Reserve Bank of India ("**RBI**"), the Foreign Investment Promotion Board or any other regulatory body) in respect of the Equity Shares held by them, they will be required to submit such previous approvals, that they would have obtained for holding the Equity Shares, to tender the Equity Shares held by them in this Open Offer, along with the other documents required to be tendered to accept this Open Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirer and the PACs reserve the right to reject such Equity Shares tendered in this Open Offer.

4. Subject to the receipt of the statutory and other approvals, if any, the Acquirer and the PACs shall complete all procedures relating to the Open Offer, including payment of consideration within 10 (ten) Working Days from the closure of the tendering period to those shareholders whose share certificates or other documents are found valid and in order and are approved for acquisition by the Acquirer and the PACs.

5. By agreeing to participate in this Open Offer (i) the holders of the Equity Shares who are persons resident in India and the (ii) the holders of the Equity Shares who are persons resident outside India (including NRIs, OCBs and FPIs) give the Acquirer the authority to make, sign, execute, deliver, acknowledge and perform all actions to file applications and regulatory reportings, if required, including FC-TRS form, if necessary and undertake to provide assistance to the Acquirer for such regulatory filings, if required by the Acquirer.

6. Where any statutory or other approval extends to some but not all of the Public Shareholders, the Acquirer and the PACs shall have the option to make payment to such Public Shareholders in respect of whom no statutory or other approvals are required in order to complete this Open Offer.

7. In case of delay/non-receipt of any approval which may be required by the Acquirer and/or PACs at a later date, as per Regulation 18(11) of the SEBI (SAST) Regulations, SEBI may, if satisfied, that non receipt of the requisite statutory approval(s) was not attributable to any willful default, failure or neglect on the part of the Acquirer or the PACs to diligently pursue such approval(s), grant an extension of time for the purpose of completion of this Open Offer, subject to such terms and conditions as may be specified by SEBI, including payment of interest by the Acquirer and the PACs to the Public Shareholders at such rate, as may be prescribed by SEBI from time to time, in accordance with Regulation18(11) of the SEBI (SAST) Regulations.

VII. TENTATIVE SCHEDULE OF ACTIVITIES

No.	Activity	Schedule (Date and Day)
1.	Issue of PA	Tuesday, November 19, 2019
2.	Date of completing the Underlying Transaction	Tuesday, December 24, 2019
3.	Publication of this DPS in newspapers	Tuesday, December 31, 2019
4.	Filing of the draft Letter of Offer with SEBI	Tuesday, January 07, 2020
5.	Last date for public announcement for competing offer(s)	Tuesday, January 21, 2020
6.	Last date for receipt of SEBI observations on the draft Letter of Offer (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager to the Open Offer)	Tuesday, January 28, 2020
7.	Identified Date#	Thursday, January 30, 2020
8.	Last date by which the Letter of Offer is to be dispatched to the Public Shareholders whose name appears on the register of members on the Identified Date	Thursday, February 06, 2020
9.	Last date by which the committee of the independent directors of the Target Company shall give its recommendation to the Public Shareholders for this Open Offer	Tuesday, February 11, 2020
10.	Last date for upward revision of the Offer Price / the size of the Open Offer	Tuesday, February 11, 2020
11.	Date of publication of opening of Open Offer public announcement in the newspapers in which this DPS has been published	Wednesday, February 12, 2020
12.	Date of commencement of the tendering period	Thursday, February 13, 2020
13.	Date of closure of the tendering period ("**Offer Closing Date**")	Friday, February 28, 2020
14.	Last date of communicating the rejection/ acceptance and completion of payment of consideration or refund of Equity Shares to the Public Shareholders	Monday, March 16, 2020
15.	Last date for publication of post-Open Offer public announcement in the newspapers in which this DPS has been published	Monday, March 23, 2020

 # Identified Date is only for the purpose of determining the names of the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. It is clarified that all holders (registered or unregistered) of Equity Shares (except the Acquirer and the PACs or persons acting in concert with them) are eligible to participate in the Open Offer any time before the Offer Closing Date.

VIII. PROCEDURE FOR TENDERING THE EQUITY SHARES IN CASE OF NON-RECEIPT OF LETTER OF OFFER

1. The Offer will be implemented by the Acquirer and PAC through Stock Exchange Mechanism made available by the Stock Exchanges in the form of separate window ("**Acquisition Window**") the Acquirer will acquire the Offer Shares in accordance with the 'tender offer method' prescribed by SEBI, in accordance with SEBI Circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015, as amended by SEBI Circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016 ("**Acquisition Window Circulars**").

2. All the Public Shareholders, holding the shares in dematerialized form are eligible to participate in this Offer at any time during the tendering period for this Offer. Please refer to Paragraph 4(e) below for details in relation to tendering of Offer Shares held in physical form.

3. Persons who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date i.e. the date falling on the 10 Working Day prior to the commencement of Tendering Period, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer

4. The Public Shareholders are entitled to tender the Offer Shares under the stock exchange mechanism made available by Stock Exchanges in the form of a separate window ("**Acquisition Window**"), as provided under the SEBI Regulations and SEBI circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with SEBI Circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016 issued by SEBI. In such case:-

a. NSE shall be the designated stock exchange ("**Designated Stock Exchange**") for the purpose of tendering the Offer Shares;

b. The Acquirer has appointed JM Financial Services Limited ("**Buying Broker**") as its broker for the Offer through whom the purchases and settlement of the Offer Shares tendered under the Offer shall be made. The contact details of the Buying Broker are as mentioned below:

JM Financial Services Limited
5th floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400025, India.
Tel: +91 22 6630 3030, Fax: +91 22 6630 3330; Contact Person: Ms. Prachee Dhuri

c. All Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares under the Offer would have to intimate their respective stock brokers ("**Selling Broker**") within the normal trading hours of the secondary market, during the Tendering Period.

d. The Acquisition Window will be provided by both NSE and BSE to facilitate placing of sell orders. The Selling Broker can enter orders for Equity Shares in dematerialized form.

e. Procedure to be followed by the Public Shareholders holding equity shares in physical form:

i. As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI PR 51/2018 dated December 3, 2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialised form with a depository w.e.f. April 1, 2019

ii. Accordingly, the Public Shareholders who are holding equity shares in physical form and are desirous of tendering their equity shares in the Offer can do so only after the equity shares are dematerialised. Such Public Shareholders are advised to approach any depository participant to have their equity shares dematerialised

5. **The detailed procedure for tendering the Offer Shares in this Open Offer will be available in the Letter of Offer, which shall be available on SEBI's website (www.sebi.gov.in).**

IX. OTHER INFORMATION

1. The Acquirer, the PACs and their respective directors in their capacity as the directors, accept full responsibility for the information contained in the PA, and this DPS (other than such information regarding the Target Company as has been obtained from public sources, which has not been independently verified by the Acquirer, the PACs and the Manager to the Offer) and shall be jointly and severally responsible for the fulfillment of obligations under the SEBI (SAST) Regulations in respect of this Open Offer. The information pertaining to the Target Company contained in the PA or DPS or Letter of Offer or any other advertisement/publications made in connection with the Open Offer has been compiled from information published or publicly available sources or provided by the Target Company. The Acquirer and the PACs have not independently verified such information and do not accept any responsibility with respect to any information provided in the PA or this DPS or the Letter of Offer pertaining to the Target Company.

2. Pursuant to Regulation 12 of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirer and the PACs have appointed JM Financial Limited as the Manager to the Offer

स्थायी विकास लक्ष्यों में केरल अव्वल, बिहार फिसड्डी

नई दिल्ली, 30 दिसंबर (भाषा)।

टिकाऊ एवं स्वस्थ विकास के लक्ष्यों (एसडीजी) की दिशा में राज्यों की प्रगति संबंधी नीति आयोग की इस साल की रपट में केरल पहले स्थान पर रहा। वहीं बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में राज्यों की प्रगति के आधार पर उनके प्रदर्शन को आंका जाता है और उनकी रैंकिंग की जाती है।

सोमवार को जारी एसडीजी भारत सूचकांक 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश, ओड़ीशा और सिक्किम ने 2018 के मुकाबले काफी अच्छी प्रगति की है जबकि गुजरात जैसे राज्यों की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है, 'सूचकांक में केरल 70 अंक के साथ शीर्ष पायदान पर बना रहा। केंद्रशासित प्रदेशों में चंडीगढ़ भी 70 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा।' सूची में हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर जबकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना तीनों तीसरे स्थान पर रहे। सतत विकास लक्ष्यों के इस साल के सूचकांक में बिहार, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश का प्रदर्शन सबसे खराब रहा।

एसडीजी भारत सूचकांक-2019

- उत्तर प्रदेश, ओड़ीशा और सिक्किम ने 2018 के मुकाबले काफी अच्छी प्रगति की है जबकि गुजरात जैसे राज्यों की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ।

नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा, 'संयुक्त राष्ट्र का 2030 का एसडीजी लक्ष्य भारत के बिना कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता... हम स्वस्थ विकास के संयुक्त राष्ट्र में तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।'

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर दक्षिणी राज्यों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। कुमार ने कहा, 'नीति आयोग के एसडीजी सूचकांक 2019 में पश्चिम बंगाल (14वां रैंक) का प्रदर्शन भी अच्छा रहा लेकिन शैक्षणिक स्तर को देखते हुए राज्य को तीन बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में होना चाहिए।' भारत का इस मामले में समग्र प्राप्तांक सुधरकर 2019 में 60 पर पहुंचा, जो 2018 में 57 था। पानी और साफ-सफाई, बिजली और उद्योग के क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल हुई है। हालांकि, पोषण और स्त्री-पुरूष असमानता देश के लिए समस्या बनी हुई है। सरकार को इस पर और विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है।

रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष स्थान पाने वाले पांच राज्यों में से तीन का 12 लक्ष्यों को हासिल करने में प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा है। वहीं दो राज्यों का प्रदर्शन 11 मामलों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में जिन राज्यों का प्रदर्शन बेहतर रहा है, उसमें तमिलनाडु, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम शामिल हैं। वहीं भुखमरी को पूरी तरह समाप्त करने के मामले में गोवा, मिजोरम, केरल, नगालैंड और मणिपुर अगुवा रहे।

नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र की मदद से एसडीजी भारत सूचकांक पिछले साल जारी किया था। इसमें संयुक्त राष्ट्र की एसडीजी के 17 क्षेत्रों में से 16 को रखा गया है। इस साल का सूचकांक राज्यों को 100 संकेतकों पर आधारित 54 लक्ष्यों के मामले में प्रगति के आधार पर तैयार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने ऐसे 306 संकेतकों की पहचान की है। 2018 में जारी पहली रिपोर्ट में 13 लक्ष्य और 39 संकेतक थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 देशों से एसडीजी को अपनाया था। वर्ष 2020 इसकी पांचवीं वर्षगांठ होगी।

प्रदर्शन में चली आंसू गैस और गोली का भी खर्च वसूलेगी यूपी सरकार

गजेंद्र सिंह
नई दिल्ली, 30 दिसंबर।

नागरिक संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में उत्तर प्रदेश में हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा के मामले में प्रदेश सरकार के आदेश पर वसूली का जो नोटिस तैयार किया गया है उसमें पुलिस की कार्रवाई में चली गोलियां, डंडे और आंसू गैस का खर्चा भी शामिल है। इनको शासकीय कोष पर बोझ बताया गया है जिसकी भरपाई हिंसा में शामिल दोषियों से की जाएगी। हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई के खर्च को उत्तर प्रदेश के कुछ ही जिलों में स्थानीय प्रशासन की ओर से तैयार किया गया है, इसलिए इस पर सवाल उठ रहे हैं। रामपुर जिला प्रशासन की ओर से हिंसा के आरोपियों को भेजे गए नोटिस से यह मामला सामने आया है। लखनऊ व अन्य जिलों में भेजे गए वसूली के नोटिस में यह बिंदु नहीं शामिल है।

रामपुर पुलिस ने जिला प्रशासन को 28 लोगों की सूची नाम सहित सौंपी है। इनमें अभी पांच लोग जेल में बंद हैं। जिला प्रशासन की ओर से अपर जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) राम भरत तिवारी की ओर से जारी एक नोटिस पप्पू पुत्र नबी अहमद को जारी किया गया है। नोटिस में बताया गया है कि 21 दिसंबर को कोतवाली क्षेत्र में एकत्र होकर ईदगाह और हाथी खाना चौराहे पर सुरक्षा बल पर फायरिंग, पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। इस आगजनी में पुलिस, सरकारी विभाग व अन्य व्यक्तियों की संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई है। इसमें सरकारी जीप कीमत साढ़े सात लाख रुपए से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर की बाइक 65 हजार रुपए, अन्य मोटरसाइकिल, जीप में लगा हूटर, स्पीकर, डंडे, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, नगर पालिका की बैरीकेडिंग, पुलिस बैरियर, उपद्रवियों को नियंत्रित करने में पुलिस बल के द्वारा उपयोग में लाए गए नॉन लीथल हथियार जैसे टिर गैस सैल, रबड़ बुलेट, प्लास्टिक पैलेट जैसी चीजों को मिलाकर कुल 12 लाख से अधिक के नुकसान का आकलन किया गया है।

रामपुर के अपर जिला मजिस्ट्रेट राम भरत तिवारी बताते हैं कि प्रशासन ने नोटिस में जो गैस सैल, रबड़ बुलेट आदि का नुकसान बताया है वह पुलिस जीप में रखा हुआ था, जिसे उपद्रवियों ने नुकसान पहुंचाया तो सामान भी नष्ट हो गया है। इनके प्रयोग के खर्च को नहीं जोड़ा गया है। हालांकि नोटिस में यह स्पष्ट नहीं है कि रबड़ बुलेट और प्लास्टिक पैलेट का नुकसान पुलिस जीप को नुकसान पहुंचाने से हुआ है। एडीएम ने बताया कि अभी किसी ने भी अपना जवाब नहीं दिया है। एक सप्ताह का समय नोटिस भेजे गए लोगों को दिया गया है। लखनऊ में करीब 82 लोगों को चिन्हित कर-के नोटिस भेजे गए हैं लेकिन यह पुलिस की रिपोर्ट पर आधारित हैं। लखनऊ ट्रांस गोमती के एडीएम विश्व भूषण मिश्रा बताते हैं कि लखनऊ में जो नोटिस भेजे गए हैं उनमें पुलिस कार्रवाई में उपयोग किसी भी चीज को नहीं जोड़ा गया है केवल क्षति पहुंचाई गई सार्वजनिक संपत्ति को ही शामिल किया गया है। अकेले ट्रांस गोमती इलाके में करीब 25 लाख रुपए के नुकसान की बात सामने आई है। हालांकि एडीएम यह भी कहते हैं कि जो लोग चिन्हित किए गए हैं वह पुलिस ने अपनी जांच में किए हैं लेकिन क्षतिपूर्ति के लिए अभी लोगों को चिन्हित प्रशासन की ओर से किया जाएगा। इसमें कोर्ट के आदेश के मुताबिक आंदोलन का आह्वान करने वालों को पहचाना जा रहा है। फिर चाहे वह किसी राजनीतिक पार्टी का ही क्यों न हो। भरपाई या तो अकेले या फिर लोग संयुक्त रूप से लोग कर सकते हैं। उन्हें प्रशासन में केवल जवाब देना है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का कहना है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन करना सबका अधिकार है, जो हिंसा हुई उसके पीछे भाजपा के लोग शामिल थे। लल्लू कहते हैं कि 'अगर मुख्यमंत्री योगी को वसूली करना चाहते हैं तो 2002 के कुशीनगर में जले गांव के मामले में आरोपी और 2007 में आजमगढ़ में उनके भाषण के बाद हुई हिंसा के मामले में आरोपी भाजपा के जन प्रतिनिधियों से भी वसूली करनी चाहिए'। उनका कहना है कि जो अहिंसक आंदोलन हुआ है उसमें आरोपी बनाए गए लोगों को कांग्रेस विधिक मदद करेगी।

गोवा : सनबर्न महोत्सव में एक और पर्यटक की मौत

पणजी, 30 दिसंबर (भाषा)।

गोवा में सनबर्न इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक (ईडीएम) महोत्सव में हिस्सा लेने आए एक पर्यटक की मौत हो गई।

पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पर्यटक ने महोत्सव स्थल के बाहर बेचैनी की शिकायत की जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई। इसके साथ ही ईडीएम महोत्सव स्थल पर पिछले तीन दिनों में तीन पर्यटकों की मौत हो चुकी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार रात में बंगलुरु के एक पर्यटक संदीप कोट्टा ने महोत्सव स्थल पर बेहद बेचैनी की शिकायत की। यह महोत्सव उत्तरी गोवा जिले के वागाटोर बीच पर आयोजित हुआ था। गोवा में भाजपा के नेता राजेंद्र अर्लेकर ने सोमवार को आश्चर्य व्यक्त किया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों की क्या जरूरत है? रविवार को यह महोत्सव समाप्त हो गया। कांग्रेस ने रविवार को दावा किया है कि आंध्र प्रदेश के दो पर्यटकों की मौत के पीछे वजह मादक पदार्थ की अधिक खुराक हो सकती है। पार्टी ने पूरे मामले की जांच की मांग भी की है। हालांकि राज्य की पुलिस ने आयोजन स्थल पर मादक पदार्थ की उपलब्धता के आरोप से इनकार किया है।

किसी को सनबर्न में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया : मंत्री

पणजी, 30 दिसंबर (भाषा)।

सनबर्न इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक (ईडीएम) उत्सव में तीन पर्यटकों की मौत को लेकर विपक्ष जहां गोवा सरकार पर प्रहार कर रहा है, वहीं राज्य के संस्कृति मंत्री गोविंद गावडे ने सोमवार को कहा कि किसी ने लोगों को समारोह में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया था।कांग्रेस ने आरोप लगाए कि कार्यक्रम स्थल पर मादक पदार्थ 'खुलेआम बिक रहे थे' और मांग की कि ईडीएम उत्सव कराए जाने की अनुमति समाप्त की जाए और इसकी जांच की जाए। गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) ने सीबीआइ जांच की मांग की। उत्तर गोवा के वगाटोर समुद्र तट पर आयोजित समारोह में पिछले तीन दिनों में तीन पर्यटकों की मौत हो गई। राज्य में कार्यक्रम की अनुमति देने के लिए सरकार की आलोचना के बारे में पूछे जाने पर गावडे ने कहा कि सरकार युवकों को सनबर्न उत्सव में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं कर रही है। वे खुद वहां जाते हैं। कोई भी वहां जाने के लिए बाध्य नहीं है।'

पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 तक बढ़ी

नई दिल्ली, 30 दिसंबर (भाषा)।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन (स्थायी खाता संख्या) को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर मार्च 2020 कर दिया। इससे पहले यह तारीख मंगलवार (31 दिसंबर 2019) थी।

सीबीडीटी ने अपने ट्वीट में लिखा , 'आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 (ए)(ए) की उपधारा दो के तहत पैन को आधार के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 की गई है।' यह आठवीं बार है जब सीबीडीटी ने आधार के साथ पैन को जोड़ने की समयसीमा को बढ़ाया है।

पिछले साल सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था। आयकर कानून की धारा 139 एए (2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई 2017 को पैन कार्ड था और जो आधार प्राप्त करने का पात्र है , उसे अपना आधार नंबर कर अधिकारियों को देना अनिवार्य है।

खबर कोना

लीबिया के त्रिपोली में हवाई हमले में क्षतिग्रस्त हुआ एक मकान।

टेक्सास में गिरजाघर में गोलीबारी, दो मरे

ह्यूस्टन, 30 दिसंबर (भाषा)।

अमेरिका में टेक्सास राज्य के वाइट सेटलमेंट शहर के गिरजाघर में बंदूकधारी ने लोगों पर गोलियां चलाईं जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। हालांकि बाद में प्रार्थना सभा के सशस्त्र सदस्य ने हमलावर को गोली मार दी। यह घटना रविवार को सुबह की प्रार्थना के दौरान करीब 11 बजकर 50 मिनट पर हुई। इस प्रार्थना सभा की सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही थी। अधिकारियों के अनुसार बंदूकधारी ने वाइट सेटलमेंट में वेस्ट फ्रीवे चर्च ऑफ क्राइस्ट में पिस्तौल निकाली और गोलीबारी शुरू कर दी। घटना में दो लोगों की बाद में एक अस्पताल में मौत हो गई। वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि बंदूकधारी खड़ा हुआ है।

तुर्की ने आइएस के 70 संदिग्धों को गिरफ्तार किया

इस्तांबुल, 30 दिसंबर (एएफपी)।

तुर्की ने सोमवार को देशभर में छापेमारी कर इस्लामिक स्टेट के 70 संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 33 लोगों को अंकारा से गिरफ्तार किया गया, जो सभी इराकी हैं। अन्य संदिग्धों को बतमान, कैसरी और अजना प्रांतों से हिरासत में लिया गया। हालिया कुछ महीनों में तुर्की ने आइएस चरमपंथियों के खिलाफ छापेमारी तेज कर दी है और उन्हें मूल देशों में वापस भेजने के प्रयासों ने भी जोर पकड़ लिया है। पिछले सप्ताह इस्तांबुल से 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आइएस ने 2015 और 2016 में तुर्की में कई हमले किए थे।

आतंकी हमलों के लिए अलर्ट पर पुतिन का ट्रंप को धन्यवाद

मास्को, 30 दिसंबर (एपी)।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश में नववर्ष के मौके पर आतंकी हमलों की योजना को नाकाम करने में मदद के लिए रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया।

क्रेमलिन ने अपनी वेबसाइट पर संक्षिप्त बयान में कहा कि ट्रंप ने रूस में आतंकी हमलों की आशंका के मद्देनजर विशेष सेवाओं के जरिए जानकारी मुहैया कराई, जिसके लिए पुतिन ने उन्हें धन्यवाद दिया। रूस की सरकारी समाचार एजंसी तास ने संघीय सुरक्षा सेवा के हवाले से कहा अमेरिका की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर रूसी सुरक्षाबलों ने दो रूसियों को हिरासत में लिया, जो आगामी छुट्टियों के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग में आतंकी हमलों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। सुरक्षा सेवा ने कहा कि उसे अमेरिकी सहयोगियों से इसकी जानकारी मिली थी। सेवा के अनुसार संदिग्धों के पास से जो सामग्री बरामद हुई है, उससे इसकी पुष्टि होती है कि वे आतंकी हमलों की तैयारी कर रहे थे। हालांकि वाइट हाउस की ओर से इसपर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है।

अफगानिस्तान में संघर्षविराम की योजना नहीं : तालिबान

काबुल, 30 दिसंबर (एएफपी)।

तालिबान ने अफगानिस्तान में किसी भी तरह के संघर्ष विराम पर सहमत होने संबंधी खबरों को सोमवार को खारिज कर दिया।

तालिबान ने बयान में कहा, 'कई समाचार संस्थान पिछले कुछ दिनों में संघर्षविराम के बारे में गलत खबरें जारी कर रहे हैं। तथ्य यह है कि अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात की संघर्ष विराम की कोई योजना नहीं है।' इस तरह के संभावित समझौते की अफवाहें है जिससे लगभग 18 वर्षों से युद्ध प्रभावित इस देश में हिंसा में कमी आएगी। अफगानिस्तान में हिसा समाप्त करने के लिए अमेरिका-तालिबान वार्ता फिर शुरू होने के बीच विद्रोहियों का यह बयान आया है। विद्रोहियों के हमलों को लेकर इस वर्ष की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वार्ता को रद्द कर दिया था। अमेरिका और अफगान सरकार ने लंबे समय तक तालिबान के साथ संघर्षविराम का आह्वान किया था। हालांकि विद्रोहियों ने कई बार कहा कि अमेरिकी सैनिकों की देश से वापसी होने के बाद ही कोई संभावित संघर्षविराम होगा।

- तालिबान ने बयान में कहा, 'कई समाचार संस्थान पिछले कुछ दिनों में संघर्षविराम के बारे में गलत खबरें जारी कर रहे हैं। तथ्य यह है कि अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात की संघर्ष विराम की कोई योजना नहीं है।'

दूध से वंचित शिशुओं के लिए प्रस्तावित योजना रुकी

बांग्लादेश में इस्लामिक विद्वानों के कारण 'मानव दूध बैंक' योजना रोकी गई

ढाका, 30 दिसंबर (भाषा)।

वैसे बच्चे जिनकी मां का देहांत उनके जन्म के बाद हो जाता है या मां के दूध से वंचित रहते हैं, उन्हें मानव दूध मुहैया कराने के लिए बांग्लादेश ने पहला मानव दूध बैंक तैयार करने की योजना बनाई थी लेकिन अब धार्मिक विवाद को देखते हुए फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है।

इस्लामिक विद्वानों के तबके ने यह कहते हुए विरोध किया कि इससे एक ही महिला का दूध पीने वाले लड़के-लड़कियों के बीच शादी को लेकर खतरा पैदा होता है जो कि इस्लाम में 'हराम' है। बीडी न्यूज की खबर के मुताबिक बांग्लादेश का सरकारी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड एंड मदर हेल्थ (आईसीएमएच) इस बैंक की शुरुआत करने वाला था। लेकिन जब यह योजना सार्वजनिक की गई तो इस्लामिक विद्वानों के एक तबके ने इसका विरोध किया और इसे कानूनी नोटिस भेज दिया।

इन विद्वानों का दावा है कि इससे कानूनी और धार्मिक उलझनें पैदा होगी। आइसीएमएच ने इस योजना पर फिलहाल रोक लगा दी है। परियोजना समन्वयक डॉक्टर मुज्बीर रहमान को यह कहते हुए समाचार में उद्धृत किया गया, 'हमने अभी के लिए इस योजना पर रोक लगा दी है।' इस्लाम आंदोलन बांग्लादेश के संयुक्त महासचिव और नेशनल उलेमा मशाइक आइम्मा काउंसिल के महासचिव गाजी अतुर रहमान ने कहा कि आइसीएमएच को इस 'संवेदनशील' परियोजना को शुरू करने से पहले इस्लामिक नेताओं से संपर्क करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस्लामिक विद्वान इसका तबतक विरोध करते रहेंगे जब तक कि यह तय नहीं हो जाता कि इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है।

हालांकि ढाका शिशु हॉस्पिटल के प्रोफेसर महबूबुल हक ने कहा कि मानव दूध वंचित नवजात बच्चों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि नवजात फॉर्मूला में 'अलग तरह की दिक्कतें' होती हैं। डॉक्टरों को संदेह है कि नवजात फॉर्मूला से जुड़ा कारोबार करने वाले भी इस विरोध में शामिल हो सकते हैं।

अमेरिका में सीएए का समर्थन

न्यूयार्क, 30 दिसंबर (भाषा)।

अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के प्रति समर्थन जताने के लिए विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम किए और सीएए को भारत सरकार की तरफ से उठाया गया ऐतिहासिक कदम करार दिया।

सीएए के मुताबिक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई समुदाय के जो लोग धार्मिक प्रताड़ना के चलते पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आ गए हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी।भारतीय-अमेरिकियों का समूह रविवार को टाइम्स स्क्वॉयर पर एकत्र हुआ। उनके हाथ में पोस्टर थे और वे सीएए और नरेंद्र मोदी सरकार के समर्थन में नारे लगा रहे थे।

सऊदी अरब कश्मीर पर ओआइसी के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने की बना रहा योजना

इस्लामाबाद, 30 दिसंबर (भाषा)।

सऊदी अरब कश्मीर की स्थिति पर चर्चा के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआइसी) के सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने की योजना बना रहा है। सऊदी अरब के इस कदम को पाकिस्तान को खुश करने का प्रयास माना जा रहा है क्योंकि मलेशिया में हाल में मुसलिम राष्ट्रों के सम्मेलन में पाकिस्तान ने भागीदारी नहीं की थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पुष्टि की कि उनका देश चाहता है कि कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर चर्चा के लिए ओआइसी के विदेश मंत्रियों की बैठक जल्द हो।

पाकिस्तान में धुंध से लोग परेशान

लाहौर, 30 दिसंबर (एएफपी)।

दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित देशों में से एक पाकिस्तान में सर्दी के इस मौसम में धुंध से लोग परेशान हैं। इस संकट से राहत के लिए हवा को शुद्ध करने वाले नवनिर्मित 'इंडोर फॉरेस्ट' एअर प्यूरीफायर खरीद रहे हैं।

खराब वायु गुणवत्ता से परेशान हसन जैदी को अपना घरेलू उपकरण बनाने में छह महीने लगे। इसे बनाते हुए जैदी ने यह भी ध्यान में रखा कि यह एअर प्यूरीफायर किफायती हो। सर्दी के इस मौसम में 31 वर्षीय इंजीनियर जैदी अब तक करीब 500 यूनिट बेच चुके हैं। 'इंडोर फॉरेस्ट' का मूल्य 16,000 रुपए है। नकदी संकट से जूझ रहे इस देश में जैदी का 'इंडोर प्यूरीफायर' आयातित प्यूरीफायरों की अपेक्षा काफी सस्ता है। दूसरे देशों से मंगवाने पर एअर प्यूरीफायर की कीमत दो से तीन गुना अधिक होती है।

पेशावर में सोमवार को धुंध का नजारा।

पत्रिका 'द लैन्सेट' में छपे अध्ययन के मुताबिक, 2015 में पाकिस्तान में वायु प्रदूषण की वजह से 135,000 लोगों की जान जा चुकी है। बीते पांच साल में पाकिस्तान में वायु प्रदूषण ने बहुत कहर ढाया है। यह देश वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित देशों में से एक है। प्रदूषण पर निगरानी रखने वाली संस्था एअर विजुअल के अनुसार लाहौर शहर धुंध से सर्वाधिक प्रभावित 10 शहरों में से एक है। लाहौर में इस स्थिति से निपटने के लिए पर्यावरणविदों का एक समूह आठ मीटर ऊंचा एअर प्यूरीफायर लगाने की योजना बना रहा है।

चीन में जेल में बंद पादरी को नौ साल की सजा

बेजिंग, 30 दिसंबर (भाषा)।

चीन की अदालत ने अनाधिकारिक प्रोटेस्टेंट गिरजाघर के जेल में बंद पादरी को शासन के खिलाफ जुर्म के मामले में सोमवार को नौ साल की सजा सुनाई।

आधिकारिक अदालती वेबसाइट पर की गई घोषणा के अनुसार चीन के दक्षिण-पश्चिम चेंगदू शहर की अदालत ने पादरी वांग यी को 'अवैध कारोबार करने' का भी दोषी ठहराया। पिछले साल सरकार ने वांग यी के 'अर्ली रेन कोवेनेंट' चर्च पर कार्रवाई की थी। अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान दिसंबर 2018 में वांग को हिरासत में लिया था। इस दौरान उसके 'भूमिगत चर्च' के कई सदस्य लापता हो गए थे।

www.readwhere.com

चर्चा

नई दिल्ली में सोमवार को भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात करतीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।

खोए और चोरी हुए मोबाइल को ढूंढ़ने के लिए शुरू हुआ पोर्टल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 दिसंबर।

दिल्ली के लोग अब अपने खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ढूंढ़ने या उसे ब्लॉक करने के उद्देश्य से सूचना प्रौगोगिकी व संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने सोमवार को वेब पोर्टल की शुरुआत की। इसे केंद्रीय उपकरण पहचान पंजी (सीईआइआर) के तहत चलाया जाएगा। इस मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, संचार सचिव अंशु प्रकाश और दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक मौजूद थे। इस पहल को प्रायोगिक आधार पर सितंबर में मुंबई में पेश किया गया था। जल्द ही यह सुविधा पूरे देश में शुरू की जाएगी।

दिल्लीवासियों के लिए सुविधा

- सबसे पहले ग्राहक को अपने खोए मोबाइल फोन के संबंध में शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करनी होगी।
- अपने सेवा प्रदाता से नया सिम लेना होगा।
- दस्तावेज तैयार करने होंगे। इसमें पुलिस में दर्ज शिकायत, अपना पहचान पत्र, मोबाइल खरीदने की रसीद।
- दस्तावेज डब्लूडब्लूडब्लू डॉट सीईआइआर डॉट गोव डाट इन पर अपलोड करने होंगे और एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।
- फॉर्म जमा करने पर नंबर ग्राहक को दिया जाएगा। उसके माध्यम से ही मोबाइल ब्लॉक किया जाएगा। बाद में इसी नंबर से मोबाइल को फिर से खोला जा सकेगा।

प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार देश के सभी लोगों का डिजिटल समावेश चाहती है। इसके लिए डिजिटल इंडिया से लेकर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) शुरू की गई है। डीबीटी के माध्यम से 1.41 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने से सरकार को बचा है। डीटीबी के लिए बैंक खाता, आधार और मोबाइल की जरूरत होती है। यही मोबाइल आम लोगों को सशक्त बना रहा है। इसलिए मोबाइल को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। देश में 1.30 जनसंख्या है तो 1.20 करोड़ मोबाइल हैं। इस पोर्टल के दिल्ली में शुरू होने से ग्राहक अपने खोए और चोरी फोन को बंद कराने के लिए अनुरोध कर सकेंगे। यही नहीं, फोन को ढूंढ़ने योग्य जानकारियां पुलिस अधिकारियों के साथ साझा की जा सकेंगी।

5जी के परीक्षण के लिए सभी को मिलेगा स्पेक्ट्रम : प्रसाद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 दिसंबर।

सरकार ने सभी नेटवर्क उपकरण प्रदादाताओं और दूरसंचार सेवा कंपनियों को परीक्षण के लिए 5जी स्पेक्ट्रम देने का फैसला किया है। दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि हमने सभी कंपनियों को परीक्षण के लिए 5जी स्पेक्ट्रम देने का फैसला किया है। इस बारे में सैद्धांतिक तौर पर फैसला ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि 5जी भविष्य है, यह रफ्तार है। हम 5जी में नए नवोन्मेषण को प्रोत्साहन देंगे। सूत्रों के मुताबिक हुवावेई सहित सभी आपरेटर और वेंडर इस परीक्षण में शामिल किए जाएंगे।

स्वयं सहायता समूहों के बनाए सामान मिलेंगे फ्लिपकार्ट, अमेजन में भी

नई दिल्ली, 30 दिसंबर (भाषा)।

शहरी क्षेत्रों में गरीब तबके के लोगों के हुनर को आगे बढ़ा रहे स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत संचालित कुटीर उद्योगों के उत्पाद अब फ्लिपकार्ट और अमेजन से ऑनलाइन भी खरीदे जा सकेंगे। आवास व शहरी विकास मामलों का मंत्रालय फ्लिपकार्ट के साथ करार कर चुका है और अमेजन के साथ करार की प्रक्रिया जारी है।

शहरी विकास सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने सोमवार को बताया 'फ्लिपकार्ट के साथ करार हो गया है और अमेजन के साथ अगले सप्ताह करार को अंतिम रूप दिया जाएगा।' मिश्रा ने कहा कि मंत्रालय द्वारा संचालित 'दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन' के अंतर्गत देश के सभी शहरी क्षेत्रों में निर्धन तबके के लोगों को उनके हुनर को निखारने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने मिशन द्वारा आयोजित कार्यशाला में कहा कि इन समूहों में प्रशिक्षित लोगों द्वारा बनाए गए हथकरघा सहित रोज़मर्रा की ज़रूरतों से जुड़े उत्पादों की बिक्री अब ऑनलाइन भी की जा सकेगी। इससे गरीबों के हुनर को न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय मंच मिलेगा बल्कि इन्हें इनके उत्पादों की उचित कीमत भी मिल सकेगी।

मिश्रा ने कहा, 'इस मिशन में पांच साल के तहत लगभग 12 लाख लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया और इनमें से पांच लाख से अधिक लोगों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराई गई जिससे उन्होंने अपने कुटीर व लघु उद्योग शुरू किए हैं।' उन्होंने कहा कि योजना की सफलता से उत्साहित होकर मंत्रालय ने पिछले साल की तर्ज पर इस साल शहरी समृद्धि उत्सव व्यापक पैमाने पर पूरे देश में मनाने का फैसला किया है। इसमें देश भर में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों को इंडिया गेट के राजपथ पर इस साल भी अपने हुनर का प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाएगा।

आवासीय बाजार में अगले साल 6.6 फीसद वृद्धि की संभावना

नई दिल्ली, 30 दिसंबर (भाषा)।

साख निर्धारण और बाजार सूचना सेवा कंपनी फिच सोल्यूशंस ने सोमवार को कहा कि देश में रिहायशी और गैर-रिहायशी भवनों के बाजार में अगले साल वास्तविक आधार पर 6.6 फीसद वृद्धि की संभावना है। इस क्षेत्र को वित्तीय समर्थन और शहरी इलाकों में सस्ते मकानों की आपूर्ति बढ़ाने पर सरकार के जोर को देखते हुए इसमें इस तरह की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

फिच सोल्यूशंस ने बयान में कहा, 'वित्तीय समर्थन और आवास बाजार के लिए सरकार की अनुकूल नीतियों से भारत के इमारत क्षेत्र में अल्पकालीन विस्तार होगा। इसके अलावा लॉजिस्टिक, खुदरा और औद्योगिक इमारत क्षेत्रों में गतिविधियां तेज होने से भी इस क्षेत्र को गति मिलने की उम्मीद है।' इसमें कहा गया कि दूसरी तरफ दीर्घकालीन वृद्धि को बड़ी आबादी से मदद मिलेगी। इसके लिए रिहायशी इमारत निर्माण क्षेत्र में निरंतर निवेश की जरूरत होगी।

सरकार 2020 में एक लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाएगी

नई दिल्ली, 30 दिसंबर (भाषा)।

केंद्र ने अगले साल प्याज का एक लाख टन का बफर स्टॉक बनाने का निर्णय किया है। हाल में प्याज के दाम में उछाल और आगे ऐसी स्थिति से बचने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह कहा।

सरकार ने चालू वर्ष में प्याज का 56,000 टन का बफर स्टॉक तैयार किया था लेकिन यह बढ़ती कीमत को थामने में नाकाम रहा। प्याज के दाम अभी भी ज्यादातर शहरों में 100 रुपए किलो से ऊपर चल रहे हैं। परिणामस्वरूप, सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की एमएमटीसी के जरिये प्याज आयात के लिए विवश होना पड़ा है। अधिकारी ने कहा, 'गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाल में मंत्री समूह की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। यह निर्णय किया गया है कि अगले साल के लिए करीब एक लाख टन का बफर स्टॉक सृजित किया जाएगा।' सरकार की तरफ से बफर स्टॉक रखने वाली संस्था नाफेड (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ) अगले साल यह जिम्मेदारी निभाएगा।

घरेलू, वैश्विक मोर्चे पर संकेतकों के अभाव में सूचकांक स्थिर

मुंबई, 30 दिसंबर (भाषा)।

घरेलू के अलावा वैश्विक मोर्चे पर संकेतकों के अभाव में सोमवार को उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में शेयर बाजार स्थिर रुख के साथ बंद हुए। साल की समाप्ति से पहले छुट्टियों के बीच निवेशक बाजार में अधिक गतिविधियां नहीं कर रहे हैं।

बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स दिन में कारोबार के दौरान करीब 260 अंक के दायरे में घट बढ़ के बाद अंत में 17.14 अंक या 0.04 फीसद की गिरावट के साथ 41,558 अंक पर बंद हुआ। दिन में कारोबार के दौरान सेंसेक्स 41,714.73 अंक के उच्चस्तर तक गया। इसने 41,453.38 अंक का निचला स्तर भी छुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 10.05 अंक या 0.08 फीसद की बढ़त के साथ 12,255.85 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स की कंपनियों में आइसीआइसीआइ बैंक का शेयर सबसे अधिक 0.99 फीसद टूटा। एसबीआइ, टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स और एक्सिस बैंक भी नुकसान में रहे।

दूसरी ओर नेस्ले इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती एयरटेल और टाटा स्टील के शेयर लाभ में रहे। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप 0.75 फीसद तक के लाभ में रहे। जियोजीत फाइनेंशियल सिर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, 'बाजार सीमित दायरे में रहा। ताजा संकेतकों के अभाव में निवेशक प्रभावित हुए और उन्होंने बड़े शेयरों को लेकर सतर्कता का रुख अपनाया। लेकिन मिड और स्मॉलकैप में पूंजी का प्रवाह हुआ जिससे उनका प्रदर्शन व्यापक बाजार रुख से बेहतर रहा।'

विश्लेषकों ने कहा कि बाजार में घरेलू मोर्चे से किसी बड़ी खबर का अभाव रहा। आगामी दिनों में निवेशकों की निगाह वाहन कंपनियों के मासिक बिक्री आंकड़ों और जीडीपी आंकड़ों पर रहेगी। अन्य एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई, हांगकांग का हैंगसेंग लाभ में रहे।

वहीं जापान का निक्की और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में गिरावट आई। शुरुआती कारोबार में यूरोपीय बाजार नुकसान में कारोबार कर रहे थे। अंतर बैंक विदेश विनिमय बाजार में रुपया चार पैसे की बढ़त के साथ 71.31 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। ब्रेंट वायदा मामूली बढ़त के साथ 66.94 डॉलर प्रति बैरल पर था।

खरीदार नहीं मिला तो छह महीने में बंद हो सकती है एअर इंडिया : अधिकारी

मुंबई, 30 दिसंबर (भाषा)।

वित्तीय संकट में फंसी सरकारी एअरलाइन एअर इंडिया को अगर खरीदार नहीं मिला तो अगले साल जून तक उसे परिचालन बंद करने के लिए मजूबर होना पड़ सकता है।

एअर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि टुकड़ों - टुकड़ों में पूंजी की व्यवस्था से लंबे समय तक गाड़ी नहीं चलाई जा सकती है। एअर इंडिया के भविष्य को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच अधिकारी ने कहा कि 12 छोटे विमान खड़े हैं, इन्हें फिर से चलाने के लिए पूंजी की जरूरत है। एअरलाइन पर करीब 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और सरकार विनिवेश के तौर - तरीकों पर काम कर रही है। अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करते हुए चेताया कि यदि अगले साल जून तक कोई संभावित खरीदार नहीं मिलता है तो एअर इंडिया भी जेट एयरवेज के रास्ते पर जा सकती है। उन्होंने कहा कि निजीकरण की योजनाओं के बीच सरकार ने कर्ज तले दबी कंपनी में और पूंजी निवेश करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने परिचालन जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार से 2,400 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी मांगी थी , लेकिन सरकार ने सिर्फ 500 करोड़ रुपये के लिए सरकारी गारंटी दी। सरकार चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में एअर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री के लिए रुचि पत्र जारी कर सकती है। अधिकारी के मुताबिक खरीदार मिल जाने की सूरत में लेनदेन को पूरा करने में कम से कम छह महीने का समय लगेगा। बशर्ते की बिक्री की प्रकिया अगले महीने की शुरुआत में हो। अधिकारी ने आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार को निवेशक मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं जताई है।

निजी क्षेत्र और प्रवासी भारतीय डॉक्टर भी पढ़ा सकेंगे मेडिकल कॉलेजों में

नई दिल्ली, 30 दिसंबर (भाषा)।

एमबीबीएस और स्नातकोत्तर के छात्रों को पढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेज अब अंशकालिक आधार पर प्रवासी भारतीयों सहित निजी क्षेत्र के डॉक्टरों की नियुक्तियां भी कर सकेंगे। यह बात एक सरकारी अधिसूचना में कही गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नए नियम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स), पीजीआइ चंडीगढ़ और पुडुचेरी स्थित जेआइपीएमईआर पर लागू नहीं होंगे, जिनकी स्थापना संसद से पारित कानूनों के तहत की गई है।

चिकित्सा शिक्षा नियामक भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआइ) की शक्तियां प्राप्त संचालन मंडल (बीओजी) का निर्णय निजी और सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को दूर करने पर केंद्रित है। पुराना नियम निजी डॉक्टरों को मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने की अनुमति नहीं देता था।

बीओजी ने अब चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता पर मौजूदा नियमों में संशोधन कर एक नया खंड शामिल किया है। चिकित्सा संस्थान (संशोधन) नियम 2019 में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता से संबंधित नियमों के अनुसार अंशकालिक आधार पर नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों को 'विजिटिंग फैकल्टी' कहा जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि चिकित्सा संस्थानों में भारतीय समुदाय के समावेश को प्रोत्साहित करने के लिए 'विजिटिंग फैकल्टी' के रूप में प्रवासी भारतीयों की नियुक्ति भी की जा सकती है। 'विजिटिंग फैकल्टी' के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 साल रखी गई है।

नवंबर में वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या 3.63 करोड़ घटी

नई दिल्ली, 30 दिसंबर (भाषा)।

वोडाफोन आइडिया के उपभोक्ताओं की संख्या नवंबर में 3.63 करोड़ घटकर 33.63 करोड़ रह गई। एक सूत्र ने सोमवार को यह जानकारी दी। अक्तूबर में निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी के मोबाइल ग्राहकों की संख्या 1.89 लाख बढ़ी थी।

सूत्र ने कहा, 'वोडाफोन आइडिया एचएलआर (होम लोकेशन रजिस्टर) उपभोक्ताओं की संख्या अक्तूबर में 37,26,76,689 थी। नवंबर में यह घटकर 33,63,57,324 पर आ गई। इस तरह एक महीने में कंपनी के ग्राहकों की संख्या में 3,63,19,365 की कमी आई है। कंपनी द्वारा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को भेजी गई रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है।

हालांकि, वोडाफोन आइडिया ने इस सूचना पर किसी तरह की टिप्पणी से इनकार किया है।

सूत्र ने कहा कि कंपनी निष्क्रिय उपभोक्ताओं को हटाती रहती है। यह कमी इसी वजह से आई है। सूत्र ने बताया कि कंपनी ने निष्क्रिय उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड दर्ज करने की अवधि को 120 दिन से घटाकर 90 दिन कर दिया है।

यदि यह समान अवधि ही रहती तो घटे हुए आंकड़े दिसंबर अंत तक के आते। वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ने तीन दिसंबर से अपने कॉल और डेटा शुल्क में 50 फीसद तक की बढ़ोतरी की है।

लिखित विवरण से हटकर शपथ लेने पर राज्यपाल ने दो मंत्रियों को फटकार लगाई

मुंबई, 30 दिसंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सोमवार को शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंच पर दो मंत्रियों को पद की शपथ ग्रहण करने के लिखित विवरण से कुछ अलग पढ़ने और कुछ पंक्तियां बिना सोचे-समझे बोलने के लिए फटकार लगाई। कांग्रेस के विधायक केसी. पडवी जब राज्य सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान कैबिनेट मंत्री की शपथ ले रहे थे तो लिखित शपथ विवरण पढ़ने के बाद कुछ पंक्तियां मतदाताओं के आभार में बोल गए।

कोश्यारी ने कड़े लहजे में तुरंत पडवी को रोका और उनसे कहा, 'जो लिखा हुआ है उसे ही पढ़ें।' उत्तर महाराष्ट्र के अक्कलकुवा का प्रतिनिधित्व करने वाले सात बार के विधायक को राज्यपाल ने निर्देश दिया, 'ऐसा नहीं चलेगा। फिर से शपथ लीजिए।' मंच से जाने के दौरान पडवी ने राज्यपाल से माफी मांगी, जिन्होंने बदले में मुस्कुरा दिया। इससे पहले कोश्यारी ने तब हस्तक्षेप किया जब कांग्रेस विधायक वर्षा गायकवाड ने पद और गोपनीयता की शपथ लेने के दौरान दलितों के मसीहा डॉ. बी आर आंबेडकर के नाम का जिक्र किया। राज्यपाल ने गायकवाड़ को बीच में ही रोक दिया और शपथ लेते समय लिखित सामग्री तक ही सीमित रहने के लिए कहा। गायकवाड़ धारावी से चार बार की विधायक हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को 26 कैबिनेट मंत्रियों और दस राज्य मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया।

शपथग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे संजय राउत

मुंबई, 30 दिसंबर (भाषा)।

विपक्षी दल भाजपा के अलावा वरिष्ठ शिवसेना नेता संजय राउत ने भी सोमवार को उद्धव ठाकरे नीत सरकार के मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग नहीं लिया। भाजपा ने कहा कि उसके नेता यहां विधान भवन में शपथग्रहण समारोह में इसलिए नहीं गए क्योंकि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार किसानों से किए वादे पूरे करने में विफल रही।

समारोह में राउत की अनुपस्थिति का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने मंत्रिमंडल में विस्तार करते हुए 26 कैबिनेट और 10 राज्यमंत्री शामिल किए हैं जिसमें राकांपा नेता अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। एक भाजपा नेता ने कहा, 'यह सरकार राज्य में किसानों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है। हमने भव्य समारोह में न जाने का निश्चय किया।' एक अन्य भाजपा नेता कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार समारोह में भाग लेने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता 28 नवंबर को दादर में शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे के शपथग्रहण समारोह में सम्मिलित हुए थे।

एससी/एसटी आरक्षण विधेयक के लिए महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र

मुंबई, 30 दिसंबर। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 10 और वर्षों के लिए एससी/एसटी आरक्षण बढ़ाने से जुड़े संविधान (126वें) संशोधन विधेयक के अनुमोदन के लिए आठ जनवरी को महाराष्ट्र विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया जाएगा।संसद ने 11 दिसंबर को इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर दिया था, जिसे प्रभावी करने के लिए कम से कम 50 विधानसभाओं का अनुमोदन आ-वश्यक है। महाराष्ट्र सरकार के सूत्रों ने सोमवार को बताया कि राज्य सरकार को भेजे गए केंद्र सरकार के संचार में कहा गया है कि इस विधेयक को 25 जनवरी से पहले अनुमोदित किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लोकसभा और विधानसभाओं में बीते 70 साल के लिए दिया गया आरक्षण 25 जनवरी 2020 को खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा।

मंत्रिमंडल विस्तार में आमंत्रित नहीं किए जाने पर बिफरे शेट्टी

मुंबई, 30 दिसंबर (भाषा)।

शिवसेना के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के बहुप्रतीक्षित विस्तार के दिन महत्वपूर्ण सहयोगी स्वाभिमानी शेतकारी संगठन (एसएसए) के अध्यक्ष राजू शेट्टी को आमंत्रित नहीं कर उन्हें नाराज कर दिया है।

एसएसए के अध्यक्ष व पूर्व सांसद शेट्टी ने राज्य सरकार पर तंज कसने में तनिक भी समय नहीं लगाया। शेट्टी ने ट्वीट किया, 'जो आपको ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई का डर दिखाते हैं, आपने उन्हें आमंत्रित किया लेकिन जिन सहयोगी दलों ने भाजपा को दूर करने में मदद की, आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया।' जाहिर तौर पर शेट्टी इस वर्ष अक्टूबर में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले राकांपा अध्यक्ष शरद पवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी किए गए नोटिस का जिक्र कर रहे थे। कोल्हापुर जिले के हटकनंगले से दो बार सांसद रह चुके शेट्टी कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पुणे और सोलापुर जिलों के गन्ना किसानों में अपना प्रभाव रखते हैं।

बसों में मार्च से दिव्यांगों के लिए होंगी विशेष सुविधाएं

नई दिल्ली, 30 दिसंबर (भाषा)।

बसों में मार्च से दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं होंगी। सोमवार को जारी आधिकारिक सूचना में यह जानकारी दी गई।

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है और इसे 27 दिसंबर 2019 को अधिसूचित कर दिया गया। संशोधन के तहत दिव्यांगों को प्राथमिकता वाली सीटें, संकेत, बैसाखी / विशेष किस्म की छड़ी / वॉकर, हैंड रेल/स्टैनचेन, प्राथमिकता वाली सीटों पर सुरक्षा के लिए नियंत्रक उपाय, व्हील चेयर को बस में लाने ,रखने और उसे लॉक करने की व्यवस्था जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। बसों के 'फिटनेस' निरीक्षण के समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बसों में ये सारी सुविधाएं दी गई हैं या नहीं। नई व्यवस्था 1 मार्च 2020 से प्रभावी हो जाएगी।

मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन के प्रस्तावित नियम 24 जुलाई, 2019 को जीएसआर अधिसूचना नंबर 523(ई) के तहत प्रकाशित किए गए थे। ऐसे लोगों से इस पर सुझाव और टिप्पणियां मांगी गई थीं जो इससे प्रभावित हो सकते हैं। नियमों के प्रस्तावित मसौदे के बारे में सभी पक्षों के सुझाव और आपत्तियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद अधिसूचना जारी की गई है।

www.readwhere.com

खबर कोना

दुबई : दुबई ग्लोब फुटबॉल अवार्ड्स से सम्मानित जुवेंट्स के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ट्रॉफी के साथ।

ओलंपिक क्वालीफायर्स के लिए भारतीय टीम में विकास

बंगलुरु, 30 दिसंबर (भाषा)।

विकास कृष्ण (69 किग्रा) ने सोमवार को यहां दो अन्य मुक्केबाजों के साथ अपना अंतिम ट्रायल मुकाबला जीतकर अगले साल होने वाले ओलंपिक क्वालीफायर के लिए भारतीय पुरुष मुक्केबाजी टीम में जगह बनाई। विश्व चैंपियनशिप और एशियाई खेलों के पूर्व पदक विजेता विकास लंबे समय तक 75 किग्रा में खेलते रहे लेकिन पीठ की चोट से उबरने के बाद उन्होंने 69 किग्रा में वापसी की। इससे पहले दो बार ओलंपिक में भाग ले चुके 26 वर्षीय विकास ने ट्रायल्स फाइनल्स में दुर्योधन सिंह नेगी को सर्वसम्मत फैसले में हराया। चीन में तीन से 14 फरवरी के बीच होने वाले एशिया ओसेनिया क्षेत्रीय क्वालीफायर के लिए राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता गौरव सोलंकी (57 किग्रा) और नमन तंवर (91 किग्रा) ने भी टीम में जगह बनाई। सोलंकी ने मोहम्मद हसमुद्दीन को जबकि तंवर ने नवीन कुमार को हराया। भारतीय पुरुष मुक्केबाजी के हाई परफोरमेन्स निदेशक सैंटियागो नीवा ने कहा, गौरव सोलंकी ने हसमुद्दीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में शानदार वापसी की।

ब्लिट्ज प्रतियोगिता के दूसरे खिताब के लिए हंपी दूसरे स्थान पर

मास्को, 30 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय ग्रैंडमास्टर कोनेरू हंपी ने महिला विश्व रैपिड एवं ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में दूसरे खिताब के लिए दमदार शुरुआत की और वह ब्लिट्ज प्रतियोगिता के पहले दिन तीन अन्य के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। शनिवार को रैपिड खिताब जीतने वाली 32 साल की हंपी ने दो दिवसीय ब्लिट्ज प्रतियोगिता में पहले पांच दौर में जीत से शुरुआत की और वह एक समय शीर्ष पर थीं। हंपी ने अगली दो बाजियां ड्रा कराई और फिर आठवीं बाजी में मोनिका सैको को हराया। वह हालांकि पहले दिन के बाद शीर्ष पर चल रही रूस की कैटरीना लैगनो से दिन की अंतिम बाजी में नाटकीय तरीके से हार गईं। लैगनो ने 2018 के अपने खिताब के बचाव के लिए पूरी प्रतिबद्धता दिखाई और उन्होंने संभावित नौ में से आठ अंक हासिल किए हैं।

चार दिवसीय टैस्ट को अनिवार्य करने पर विचार

मेलबर्न, 30 दिसंबर (भाषा)।

आइसीसी 2023 से विश्व टैस्ट चैंपियनशिप में शामिल मुकाबलों को अनिवार्य रूप से चार दिवसीय करने पर विचार कर रहा है जिससे व्यस्त कार्यक्रम में समय की बचत की जा सके। आइसीसी की क्रिकेट समिति 2023-2031 सत्र के लिए टैस्ट मैचों को औपचारिक रूप से पांच की जगह चार दिन के करने पर विचार करेगी। 'ईएसपीएनक्रिकइंफो' के मुताबिक इस विचार के पीछे कई वजह है जिसमें आइसीसी और अधिक वैश्विक प्रतियोगिताओं के आयोजन करना चाहता है और बीसीसीआइ ने भी इस सत्र में अधिक द्विपक्षीय मुकाबलों की मांग की है। इसके अलावा दुनिया भर में टी-20 लीग का प्रसार हो रहा है और पांच दिवसीय मैच की मेजबानी में होने वाला खर्च भी शामिल है। अगर 2015-2023 सत्र में चार दिवसीय टैस्ट मैच खेले जाते तो खेल से 335 दिन बच जाते। चार दिवसीय टैस्ट कोई नई अवधारणा नहीं है। इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड और आयरलैंड ने चार दिवसीय टैस्ट खेला था। इससे पहले 2017 में दक्षिण अफ्रीका और जिंबाब्वे ने भी ऐसा ही मैच खेला था। यह ऐसा मुद्दा है जिस पर खेल से जुड़े हितधारक अलग-अलग दृष्टिकोण रख सकते हैं। क्रिकेट आस्ट्रेलिया के प्रमुख केविन राबर्ट्स को लगता है कि चार दिवसीय टैस्ट पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

विजडन की दशक टी-20 टीम में कोहली, बुमराह

लंदन, 30 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय कप्तान विराट कोहली और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को विजडन ने दशक की टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम में शामिल किया है लेकिन महेंद्र सिंह धोनी इस टीम में जगह नहीं बना पाए।

आस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के कप्तान आरोन फिंच को टीम का कप्तान बनाया गया है जिसमें दो अन्य आस्ट्रेलियाई शेन वाटसन और ग्लेन मैक्सवेल, इंग्लैंड के जोस बटलर और डेविड विली, अफगानिस्तान के आलराउंडर मोहम्मद नबी और राशिद खान, न्यूजीलैंड के कोलिन मुनरो और श्रीलंका के लेसिथ मलिंगा शामिल हैं।

विजडन ने कोहली के बारे में लिखा है, कोहली का घरेलू टी-20 रेकार्ड उतार चढ़ाव वाला रहा है लेकिन टी-20 अंतरराष्ट्रीय में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। कोहली का औसत 53 है जो दशक में सर्वश्रेष्ठ है और जबकि उनकी निरंतरता उनके स्ट्राइक रेट से थोड़ा समझौता करती है, तब भी वह असाधारण नहीं लेकिन अच्छी दर से स्कोर बनाने में सक्षम हैं। विजडन ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है, तेज और स्पिन गेंदबाजी के सामने दमदार और विकेटों के बीच तेज दौड़ के कारण कोहली नंबर तीन के आदर्श खिलाड़ी हैं जो शुरू में विकेट गिरने के बाद तीक्ष्ण गेंदबाजी का डटकर सामना करके पारी संवारने में सक्षम हैं लेकिन साथ ही अच्छी शुरुआत मिलने पर तेजी से रन बना सकते हैं। पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी होने पर कोहली इस एकादश के बल्लेबाजी क्रम में नीचे आएंगे। कोहली को विजडन ने दशक के पांच खिलाड़ियों में शामिल किया था। इनमें स्टीव स्मिथ, डेल स्टेन, एबी डिविलियर्स और एलिस पैरी भी शामिल थे। कोहली को जहां विजडन की दशक की टी-20 टीम में बल्लेबाजों में जगह मिली है वहीं गेंदबाजों में बुमराह अपने शानदार 'इकोनोमी रेट' और डेथ ओवरों की बेहतरीन गेंदबाजी के कारण अंतिम एकादश में स्थान बनाने में सफल रहे।

विजडन ने लिखा है, बुमराह का ओवरऑल इकोनोमी रेट 6.71 है जो विश्व के तेज गेंदबाजों में डेल स्टेन के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ है। यह आंकड़ा तब और प्रभावशाली लगता है जब आप इस पर गौर करो कि उन्होंने अधिकतर गेंदबाजी डेथ ओवरों में की जहां उनका 7.27 का इकोनोमी रेट विश्व में सातवां सर्वश्रेष्ठ और तेज गेंदबाजों में सर्वश्रेष्ठ है। बुमराह अपनी टीम के लिए तीन ओवर डेथ ओवरों में करते रहे हैं। भारत की 2007 की टी-20 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान धोनी इस ऑलस्टार टीम में जगह नहीं बना पाने वाले प्रमुख खिलाड़ी हैं।

टीम आरोन फिंच (कप्तान), कोलिन मुनरो, विराट कोहली, शेन वाटसन, ग्लेन मैक्सवेल, जोस बटलर, मोहम्मद नबी, डेविड विलीद, राशिद खान, जसप्रीत बुमराह, लेसिथ मलिंगा।

पोंटिंग ने कोहली को चुना दशक की टैस्ट टीम का कप्तान

मेलबर्न, 30 दिसंबर (भाषा)।

पूर्व आस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने सोमवार को भारतीय कप्तान विराट कोहली को दशक की ऑल स्टार टैस्ट टीम का कप्तान चुना। उनकी इस टीम में इंग्लैंड के चार खिलाड़ी शामिल हैं। क्रिकेट आस्ट्रेलिया की आधिकारिक वेबसाइट ने भी कोहली को दशक की अपनी टैस्ट एकादश का कप्तान चुना था। पोंटिंग की पिछले दस साल के प्रदर्शन पर आधार पर तैयार की गई टीम में कोहली के अलावा कोई अन्य भारतीय शामिल नहीं है। कोहली अभी आइसीसी टैस्ट और वनडे की बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर हैं। इंग्लैंड के जिन खिलाड़ियों को पोंटिंग की टीम में जगह मिली है उनमें आलराउंडर बेन स्टोक्स, सलामी बल्लेबाज एलिस्टेयर कुक तथा तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्राड और जेम्स एंडरसन शामिल हैं। आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में उन्होंने स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर तथा स्पिनर नाथन लियोन को अपनी टीम में रखा है। पोंटिंग ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, हर कोई दशक की अपनी टीम चुन रहा है तो मैंने सोचा कि मुझे भी इस खेल में शामिल होना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा, पिछले दशक की मेरी टैस्ट टीम इस तरह से है डेविड वार्नर, एलिस्टेयर कुक, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली (कप्तान), कुमार संगकारा (विकेटकीपर), बेन स्टोक्स, डेल स्टेन, नाथन लियोन, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन। कोहली अभी तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 70 शतक लगा चुके हैं तथा केवल सचिन तेंदुलकर (100) और पोंटिंग (71) से पीछे हैं। क्रिकेट आस्ट्रेलिया की आधिकारिक वेबसाइट ने भी कोहली को दशक की अपनी टैस्ट एकादश का कप्तान चुना था।

बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों का बहिष्कार नहीं करेगा आइओए

नई दिल्ली, 30 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) ने निशानेबाजी को हटाए जाने को लेकर 2022 बर्मिंघम खेलों के बहिष्कार की धमकी सोमवार को वापस ले ली और साथ ही घोषणा की कि देश 2026 या 2030 खेलों की मेजबानी की दावेदारी पेश करेगा।

राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (सीजीएफ) की सलाह पर आइओए ने यहां अपनी वार्षिक आम बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल खेल 2022 से पहले राष्ट्रमंडल निशानेबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी का औपचारिक प्रस्ताव सौंपने का फैसला किया। 2022 खेलों से निशानेबाजी को हटाए जाने की भरपाई के लिए भारतीय के राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ और अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी संघ ने यह विचार रखा था।

आइओए के महासचिव राजीव मेहता ने एजीएम के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा, एजीएम में हमने बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से हटने का फैसला वापस ले लिया है। देश का दल 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (सीजीएफ) की अध्यक्ष डेम लुईस मार्टिन ने भारत के बर्मिंघम खेलों में प्रतिनिधित्व की पुष्टि करने का स्वागत किया है। लुईस मार्टिन ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, सीजीएफ और पूरा राष्ट्रमंडल खेल अभियान प्रफुल्लित है कि भारत (आइओए) ने नई दिल्ली में अपनी वार्षिक आम बैठक के दौरान बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हिस्सा लेने के अपने इरादे की पुष्टि की है। आइओए प्रमुख नरिंदर बत्रा की मौजूदगी में मेहता ने कहा, हम साथ ही 2026 या 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करेंगे। इस बोली को लेकर आम सभा में प्रस्ताव पारित किया गया है। ओलंपिक खेलों की देश में शीर्ष संस्था आइओए अब राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जरूरी स्वीकृति लेने के लिए सरकार से संपर्क करेगा। भारत ने 2010 में इन खेलों की मेजबानी की थी। मेहता ने कहा, एजीएम में स्वीकृति मिलने के बाद हम सरकार के पास जाएंगे। अंत में फैसला सरकार को ही करना है। रवांडा के किगाली में सीजीएफ की 2019 आम सभा में 2026 खेलों के मेजबान पर फैसला होना था लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया और अब घोषणा अगले साल की जाएगी।

बत्रा ने बताया कि एजीएम ने यह प्रस्ताव भी पारित किया है कि सीजीएफ से आग्रह किया जाएगा कि निशानेबाजी की तर्ज पर तीरंदाजी की राष्ट्रीय चैंपियनशिप का भी आयोजन किया जाए। तीरंदाजी भी 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है। बत्रा ने कहा, हम निशानेबाजी और तीरंदाजी की राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए दो प्रस्ताव भेज रहे हैं। बत्रा ने साथ ही बताया कि 2023 में मुंबई में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रतिष्ठित सत्र की मेजबानी के लिए भारत को अंतिम दावेदारी आइओसी को सौंपनी होगी। उन्होंने साथ ही बताया कि एजीएम में 2020 राष्ट्रीय खेल गोवा में 20 अक्तूबर से चार नवंबर तक कराने की पुष्टि की गई। बत्रा ने विवादास्पद खेल संहिता मसौदा 2017 पर भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष लंबित है। उन्होंने हालांकि कहा कि आइओए ने इसे खारिज कर दिया है। मेहता ने कहा कि उम्मीद है कि भारत के कम से कम 125 खिलाड़ी 2020 तोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा, अब तक 60 से अधिक खिलाड़ियों ने क्वालीफाई कर लिया है। हमें कम से कम 125 खिलाड़ियों के तोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने की उम्मीद है और यह संख्या 150 तक पहुंच सकती है।

निशानेबाजी को हटाए जाने को लेकर दी थी धमकी, अब 2026 या 2030 खेलों की मेजबानी की दावेदारी पेश करेगा संघ

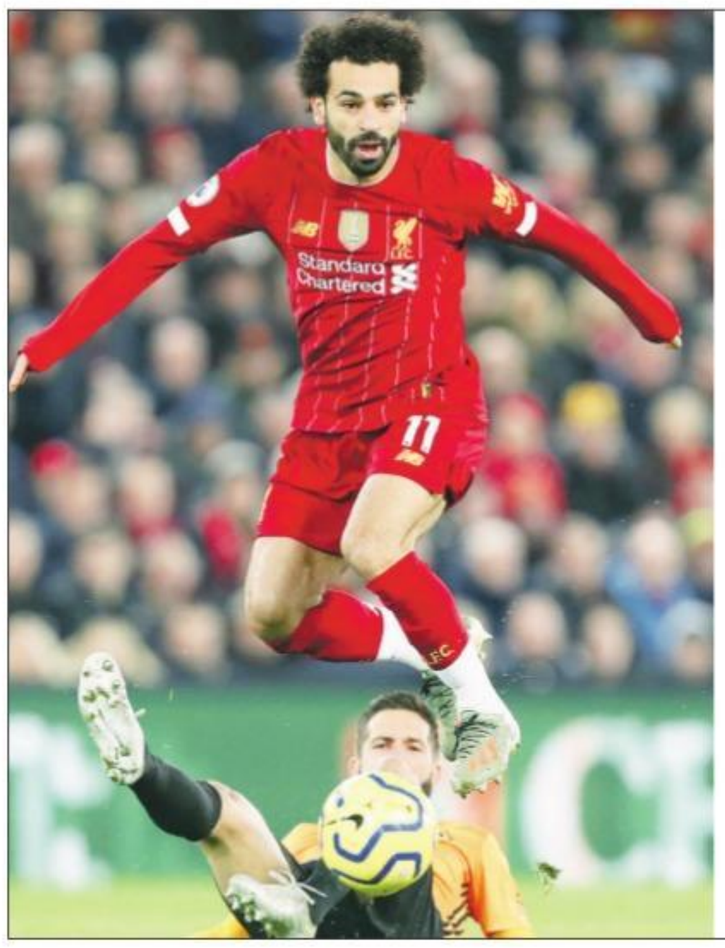

लंदन इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल मैच के दौरान वॉल्वरहैम्प्टन वांडरर्स के जोआओ मोटिन्हो (नीचे) लिवरपूल के मोहम्मद सलाह को रोकने का प्रयास करते हुए।

लिवरपूल का घरेलू मैदान पर अजेय अभियान का 'अर्धशतक' पूरा

लंदन, 30 दिसंबर (एएफपी)।

लिवरपूल ने 'वार' के सहारे वोल्व्स को 1-0 से हराकर इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में फिर से 13 अंक की बढ़त हासिल करने के साथ ही घरेलू मैदान पर अपने अजेय अभियान को 50 मैचों तक पहुंचा दिया।

उधर चेल्सी ने बेहतरीन वापसी करके अंतिम क्षणों में चार मिनट के अंदर दो गोल करके आर्सनल को 2-1 से पराजित किया। आर्सनल पियरे एमरिक के 13वें मिनट में किए गए गोल से जीत की तरफ बढ़ रहा था लेकिन जोर्गिन्हो (83वें) और टैम अब्राहम (87वें मिनट) ने मैच का पासा पलट दिया।

मैनचेस्टर सिटी अब भी लिवरपूल से 14 अंक पीछे है लेकिन उसने शैफील्ड यूनाइटेड पर 2-0 की जीत से दूसरे नंबर पर काबिज लीस्टर से अंतर कम कर दिया है। सिटी की तरफ से सर्जियो अगुएरा और केविन डि ब्रूएन के दूसरे हाफ में गोल किए।

मैनचेस्टर सिटी के 42 जबकि लीस्टर के 43 अंक हैं। लिवरपूल 55 अंकों के साथ शीर्ष पर है। चेल्सी 35 अंक के साथ चौथे स्थान पर है। एनफील्ड में खेले गए विवादास्पद मुकाबले में सैडियो माने के गोल से लिवरपूल ने लीग में अपने घरेलू मैदान पर अजेय अभियान 50 मैच तक पहुंचा दिया।

लिवरपूल के कोच जर्गेन क्लॉप ने कहा, अगर इतने अधिक मैच जीतना आसान होता तो कई टीमें ऐसा करती। माने के 42वें मिनट में किए गए गोल को पहले नकार दिया गया था क्योंकि रेफरी को लगा कि गेंद एडम लालना के हाथ से लगी है लेकिन 'वार' समीक्षा के बाद रेफरी एंथनी टेलर का फैसला बदल दिया गया। इसके कुछ देर तक वोल्व्स की तरफ से पेड्रो नीटो ने गोल किया लेकिन 'वार' समीक्षा में आफसाइड की वजह से फैसला उनके खिलाफ चला गया।

गंभीर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के पात्र नहीं हैं : डीडीसीए

नई दिल्ली, 30 दिसंबर (भाषा)।

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) ने अपने अध्यक्ष पद का चुनाव कराने के लिए सोमवार को फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनावों तक का समय मांगा।

डीडीसीए ने साथ ही स्पष्ट कर दिया कि लोढा समिति की सिफारिशों के अनुसार पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के पात्र नहीं हैं। डीडीसीए के महासचिव विनाद तिहाड़ा ने यहां कहा, लोकपाल दीपक वर्मा को अध्यक्ष पद का चुनाव कराने के लिए अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया जाएगा। चुनाव जनवरी के अंत में होने हैं लेकिन आग्रह किया जाएगा कि यह फरवरी में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद हों। रजत शर्मा के इस्तीफे के बाद खाली हुए अध्यक्ष पद के लिए गंभीर की उम्मीदवारी पर तिहाड़ा ने कहा, दिल्ली क्रिकेट की सेवा के लिए उनका स्वागत है लेकिन वह अध्यक्ष तभी बन सकते हैं जब सांसद के रूप में इस्तीफा दें। रजत शर्मा ने पिछले महीने इस्तीफा दे दिया था जिससे डीडीसीए में नए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए चुनाव कराने की जरूरत पड़ी। तिहाड़ा ने साथ ही रविवार को संपन्न विवादों से भरी वार्षिक आम बैठक के दौरान हाथापाई करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी वादा किया। एजीएम के दौरान हाथापाई भी हुई थी और इस दौरान न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दीपक वर्मा को डीडीसीए का नया लोकपाल नियुक्त किया गया। एजीएम के इतर सत्ताधारी गुट के संयुक्त सचिव राजन मनचंदा को विरोधी गुट के मकसूद आलम ने थप्पड़ जड़ा। तिहाड़ा ने कहा कि एजीएम के दौरान अव्यवस्था में शामिल रहे राज्य संघ के अधिकारियों के खिलाफ एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई की जाएगी।

अध्यक्ष पद का चुनाव कराने के लिए विधानसभा चुनावों तक का समय मांगा

आइसीसी टैस्ट रैंकिंग में कोहली शीर्ष पर बरकरार

दुबई, 30 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय कप्तान विराट कोहली वर्ष के आखिर में आइसीसी टैस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज रहेंगे लेकिन लंबी अवधि के प्रारूप के विशेषज्ञ चेतेश्वर पुजारा एक पायदान नीचे पांचवें स्थान पर खिसक गए।

कोहली के 928 रेटिंग अंक हैं और वह दूसरे स्थान पर काबिज आस्ट्रेलियाई स्टार स्टीव स्मिथ (911) से काफी आगे हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन (822) तीसरे स्थान पर हैं। इस साल 11 टैस्ट मैचों में 1085 रन बनाने वाले आस्ट्रेलियाई मार्नस लाबुशेन एक पायदान आगे चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। पुजारा 791 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर हैं जबकि अंजिक्य रहाणे के 759 अंक हैं और वह सातवें स्थान पर हैं। सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल पहले की तरह 12वें स्थान पर बने हुए हैं लेकिन रोहित शर्मा एक पायदान ऊपर 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इस तरह से भारत के कुल पांच बल्लेबाज शीर्ष 20 में शामिल हैं।

अगले साल तोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए टीमों ने बनाई जगह | **अलविदा 2019** | रैंकिंग में पुरुष टीम पांचवें तो महिला टीम नौवें स्थान पर बनी रही

भारतीय हॉकी में उम्मीद की नई किरण जगा गया यह साल

नई दिल्ली, 30 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय हॉकी के लिए अगर 2018 मौके चूकने के कारण निराशा से जुड़ा रहा तो वर्ष 2019 इस खेल में उम्मीद की नई किरण लेकर आया जिसमें पुरुष और महिला दोनों टीमों ने अगले साल तोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई किया।

भारतीय टीमों ने 2019 में अधिकतर मौकों का पूरा फायदा उठाया और इनमें से सबसे बड़ा था तोक्यो ओलंपिक के लिए अपना टिकट पक्का करना। भारतीयों टीमों ने हालांकि वर्ष 2019 में अधिकतर द्विपक्षीय श्रृंखलाओं और अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआइएच) की एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस बीच अप्रैल में ग्राहम रीड ने भारतीय सीनियर पुरुष टीम का जिम्मा संभाला और जूनियर टीम के कुछ खिलाड़ियों ने सीनियर टीम में जगह बनाई। आस्ट्रेलिया, विश्व चैंपियन बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी और अर्जेंटीना जैसी शीर्ष टीमें जहां एफआइएच प्रो लीग के पहले सत्र में खेलने में व्यस्त रही वहीं भारतीय टीम अधिकतर कम रैंकिंग वाली टीमों से खेली। पुरुष टीम ने इस साल की शुरुआत जून में भुवनेश्वर में एफआइएच सीरीज फाइनल्स से की जहां मनप्रीत सिंह की अगुआई वाली टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 5-1 से हराकर एफआइएच ओलंपिक क्वालीफायर्स में जगह बनाई। ओलंपिक क्वालीफायर्स से पहले भारतीय पुरुष टीम ने अगस्त में तोक्यो ओलंपिक परीक्षण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया जिसमें मेजबान जापान, मलेशिया और न्यूजीलैंड की टीमें खेली थीं। भारतीय टीम ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 5-0 से करारी शिकस्त देकर खिताब जीता था। इसके बाद भारतीय टीम यूरोप दौरे पर गई जहां उसने विश्व चैंपियन बेल्जियम के खिलाफ तीन और स्पेन के खिलाफ दो मैच खेले। मनप्रीत सिंह की अगुआई वाली टीम ने बेल्जियम को 2-0, 2-1 और 5-1 से तथा स्पेन को 6-1 और 5-1 से हराया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी सफलता ओलंपिक क्वालीफायर्स में रहीं जहां उसने रूस को 11-3 के कुल स्कोर से हराकर ओलंपिक के लिए टिकट पक्का किया। रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम इस साल पांचवें स्थान पर बनी रही।

भारतीय महिला टीम ने भी काबिलेतारीफ प्रदर्शन किया। रानी रामपाल की अगुआई वाली टीम भी साल भर रैंकिंग में नौवें स्थान पर बनी रही। उसकी दो खिलाड़ियों शर्मिला देवी और लालरेमसियामी को एफआइएच के वर्ष के उदीयमान खिलाड़ी के लिए नामित किया गया। इस वर्ष मुख्य कोच सोर्ड मारिन को पूरे सत्र में महिला टीम के साथ काम करने और सही संयोजन तैयार करने का भी मौका मिला। महिला टीम ने मलेशिया और कोरिया दौरे से शुरुआत की जहां उसने अपनी प्रतिद्वंद्वियों को हराकर जून में एफआइएच सीरीज फाइनल्स के लिए जरूरी आत्मविश्वास हासिल किया। भारत ने हिरोशिमा में एफआइएच सीरीज फाइनल्स में उरुग्वे, पोलैंड, फिजी, चिली और मेजबान जापान को हराकर एफआइएच ओलंपिक क्वालीफायर्स के लिए क्वालीफाई किया। इसके बाद ओलंपिक परीक्षण प्रतियोगिता में उसने विश्व में नंबर दो आस्ट्रेलिया को बराबरी पर रोका तथा चीन और जापान को हराकर खिताब जीता। भारतीय महिला टीम ने ओलंपिक क्वालीफायर्स में भी अपना अच्छा फार्म जारी रखा और अमेरिका को 6-5 के कुल स्कोर से हराकर तीसरी बार ओलंपिक में जगह बनाई। सीनियर टीमों की तरह जूनियर टीमों ने भी किसी बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया और वह अधिकतर आमंत्रण टूर्नामेंटों में ही खेलीं।

2019 में भारतीय टीमों ने अधिकतर मौकों का पूरा फायदा उठाया

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 44, *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com